



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092023-248739
CG-DL-E-14092023-248739

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]
No. 217]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 12, 2023/भाद्र 21, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 2023/BHADRA 21, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2023

[मामला सं. एडी (एसएसआर) - 06/2022]

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सिंथेटिक ग्रेड जियोलाइट 4ए (डिटरजेंट ग्रेड)" के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच।

फ़ा. सं. 7/14/2022-डीजीटीआर.—1. समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है) और सीमा शुल्क टैरिफ (विरोधी की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह) को ध्यान में रखते हुए। डंप की गई वस्तुओं पर डंपिंग शुल्क और क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, समय-समय पर संशोधित, (इसके बाद इसे "नियम" या "एडी नियम" के रूप में भी जाना जाता है)।

क. मामले की पृष्ठभूमि**मूल जांच**

2. चीन से संबद्ध वस्तु से आयातों से संबंधित मूल जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 6/14/2017-डीजीएडी, दिनांक 02.01.2018 के माध्यम से शुरू की गई थी। अधिसूचना सं. 6/14/2017-डीजीएडी, दिनांक 29.10.2018 द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी और उसे सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 57/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 13.12.2018 द्वारा लगाया गया था।

वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच

3. मैसर्स गुजरात क्रेडो मिनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जीसीएमआईएल) (जिसे आगे आवेदक कहा गया है) ने नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत रूप से साक्षात्कृत आवेदन प्रस्तुत किया है। तथ्यों की प्रथमदृष्ट्या जांच के बाद प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा के लिए अधिसूचना सं. 7/14/2022-डीजीटीआर, दिनांक 29 सितंबर, 2022 के द्वारा निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) जांच की शुरुआत की थी।

ख. प्रक्रिया

4. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
- प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. फा. सं. 7/14/2022-डीजीटीआर, दिनांक 29 सितंबर, 2022 के द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की।
 - प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं (जिनके ब्यौरे आवेदक ने उपलब्ध कराये थे) को प्रश्नावली के साथ सार्वजनिक सूचना की एक-एक प्रति भेजी थी और उन्हें एडी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर दिया था। उन्हें अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख या पत्र की तारीख से तीस दिनों के भीतर उत्तर देने की सलाह दी गई थी।
 - प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों और इसके दूतावास को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति भेजी थी। आवेदन की एक प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी भेजी गई थी।
 - प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों से संगत सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावलियां भेजी थी।

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक का नाम	क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक का नाम
1	चाल्को किंगदाओ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	2	चाल्को ज़िबो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी
3	टियांजिन गर्क विन इंटरनैटिनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	4	जियामेन झांग झाओ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट
5	गुआंगझोउ केमिकल्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड	6	हुइयिंग केमिकल इंडस्ट्री (कुज़नझोउ) कंपनी लिमिटेड
7	शिजाजुआंग जियानडा हाई-टेक केमिकल कंपनी	8	शांगडोंग सन हाई राइजिंग केमिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
9	जियांगक्सी ज़िंटाओ टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	10	फुज़ियान रिशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड

11	यंगझोउ गुआनमिन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लिमिटेड	12	चाइना कैटालिस्ट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड
13	शिजाजुआंग निंगशू ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	14	चाल्को शानडांग कंपनी लिमिटेड
15	नानजिंग योंगचेंग मोलेकुलर सीव कंपनी लिमिटेड	16	लुओयांग जालोन माइक्रो-नैनो न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
17	जेडओर कैटालिस्ट	18	नाइके केमिकल
19	होनवान इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लिमिटेड	20	एलके (नानजिंग) कंपनी लिमिटेड
21	वाईएसएचसी (तियानजिन) केमिकल कंपनी लिमिटेड		

- v. चाल्को क्किंगदाओ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड और चाल्को शेडोंग एडवांस्ड मटेरियल कंपनी लिमिटेड, संबद्ध देश से उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर का भाग I और भाग II प्रस्तुत किया है।
- vi एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं से आवश्यक सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावलियां भी भेजी गई थी।

क्र.सं	उत्पादक/निर्यातक का नाम	क्र.सं	उत्पादक/निर्यातक का नाम
1	मैसर्स प्रॉक्टर एंड गैम्बल होम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	2	मैसर्स एएलए केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
3	मैसर्स आदित्य फाइनकेम प्राइवेट लिमिटेड	4	मैसर्स सोनेको मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
5	मैसर्स अग्रवाल मिनरल्स	6	मैसर्स प्रीवेस्ट डेनप्रो लिमिटेड
7	मैसर्स बेसिल प्रोम्ट विनाइल प्राइवेट लिमिटेड	8	मैसर्स प्लेटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप
9	मैसर्स बेयरलोचर इंडिया एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड	10	मैसर्स सुदर्शन मिनकेम लिमिटेड
11	मैसर्स एसोसिएटेड स्टैबप्लास्ट एंड केमिकल्स	12	मैसर्स सैन ग्लोबल लिमिटेड
13	मैसर्स भवानी केमिकल्स	14	मैसर्स श्रेष्ठ केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
15	मैसर्स इंडो रीजेंस पॉलिमर एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड	16	मैसर्स सुब्रे कैटल केम प्राइवेट लिमिटेड
17	मैसर्स ज्योति विनाइल लिमिटेड	18	मैसर्स वाघानी इंक
19	मैसर्स गलाटा केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	20	मैसर्स श्री साई नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
21	मैसर्स ललिता केम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	22	मैसर्स निर्मेश एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
23	मैसर्स ग्लोबलार्क कॉर्पोरेशन एलएलपी	24	मैसर्स स्टैबप्लास्ट चेम्प इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
25	मैसर्स फेथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड	26	मैसर्स ओहम इंटरनेशनल
27	मैसर्स इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	28	मैसर्स मानव ग्लोबल ट्रेड
29	मैसर्स प्लैटिनम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	30	हिंदुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड

- vii. भारत में संबद्ध वस्तु के किसी भी आयातक ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है या अनुरोध नहीं किया है। एक मात्र प्रयोक्ता, जिसने प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर दिया है हिंदुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड है।

- viii. प्राधिकारी ने इसके बाद सभी हितबद्ध पक्षकारों को आर्थिक हित संबंधी प्रश्नावली भेजी थी। इसके अलावा, 14.12.2022 को प्रशासनिक मंत्रालय को प्रति भेजी गई थी। केवल हिंदुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड द्वारा आर्थिक हित संबंधी प्रश्नावली का उत्तर दिया गया था।
- ix. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी गोपनीयता दावे को जहां आवश्यक हो, स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।
- x. आवेदक से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी।
- xi. घरेलू उद्योग का वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था।
- xii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी कहा गया है) ज्ञात की गई थी। ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वर्तमान पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त है।
- xiii. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 (12 माह) (जिसे आगे जांच अवधि या पीओआई भी कहा गया है) है। क्षति विश्लेषण अवधि में जांच की अवधि में 2018-19, 2019-20 और 2020-21 की अवधि शामिल हैं।
- xiv. एडी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 10 मार्च, 2023 को हुई मौखिक सुनवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों को उनके विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया था। हितबद्ध पक्षकारों से 24 मार्च, 2023 तक खंडन अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। प्राधिकारी ने खंडन अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को 28 मार्च, 2023 तक बढ़ाया था।
- xv. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों पर इस जांच में उनके संगत होने की सीमा तक प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया था।
- xvi. नियमावली के नियम 16 के अनुसार जांच के अनिवार्य तथ्यों का ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों का 4 सितंबर, 2023 के प्रकटन विवरण के माध्यम से प्रकटन किया गया था और प्राधिकारी द्वारा उन पर प्राप्त टिप्पणियों को संगत माने जाने पर इस अंतिम जांच परिणाम में उनका समाधान किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन के पश्चात किये गये अधिकांश अनुरोध उनके पूर्ववर्ती अनुरोधों का दोहराव मात्र हैं। तथापि, संगत समझे जाने पर प्रकटन के पश्चात के अनुरोधों की इस अंतिम जांच परिणाम में जांच की जा रही है।
- xvii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी टिप्पणियां दर्ज की हैं।
- xviii. इस जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- xix. यूएस डॉलर को भारतीय रुपये में परिवर्तित करने के लिए पीओआई में मानी गई विनमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 75.37 ₹. है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- 5. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किये गये हैं।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

6. विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:
- वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद 'सिंथेटिक ग्रेड जियोलाइट 4ए' है जिसे "जियोलाइट 4ए" के रूप में भी जाना जाता है।
 - जियोलाइट्स सुपरिभाषित संरचना सहित माइक्रोपोरस क्रिस्टेलाइन ठोस होते हैं। आम तौर पर इनमें सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन होती है जिनके ढांचे और कार्य होते हैं, इनके क्षिद्रों में जल और/ या अन्य अणु होते हैं। अनेक सामान्य तौर पर खनिज रूप में होते हैं और ये विश्व के कई भागों में व्यापक रूप से खनिज किये जाते हैं। अन्य सिंथेटिक होते हैं और विभिन्न उद्योगों के विशिष्ट प्रयोग के लिए वाणिज्यिक रूप में निर्मित होते हैं। जियोलाइट का सामान्य सूत्र एनएएक्स $[(\text{ए1ओ2})\text{x}]\text{एसआईओ2}\text{वाई}$ जेडएच2ओ के रूप में दिया जाता है।
 - पीयूसी प्राथमिक रूप से जल को मृदु बनाने के लिए डिटरजेंट बिल्डर का कार्य करता है। परिणामस्वरूप जल के मृदु होने पर सफाई करने के लिए कम साबुन की जरूरत पड़ती है क्योंकि कैल्शियम आयोन की मॉपिंग में साबुन बर्बाद नहीं होता है।
 - विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में था।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'जियोलाइट4ए' के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच है। इस प्रकार वर्तमान जांच में पीयूसी भी चीन जन. गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित 'जियोलाइट4ए' है। मूल जांच में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार है:
- 6. पीयूसी 'सिंथेटिक जियोलाइट 4ए' (डिटरजेंट ग्रेड) है जियोलाइट्स सुपरिभाषित संरचना सहित माइक्रोपोरस क्रिस्टेलाइन ठोस होते हैं। आम तौर पर इनमें सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन होती है जिनके ढांचे और कार्य होते हैं, इनके क्षिद्रों में जल और / या अन्य अणु होते हैं। ये सामान्य तौर पर खनिज रूप में भी होते हैं और ये विश्व के कई भागों में व्यापक रूप से खनिज किये जाते हैं। अन्य सिंथेटिक होते हैं और विभिन्न उद्योगों के विशिष्ट प्रयोग के लिए वाणिज्यिक रूप में निर्मित होते हैं। जियोलाइट का सामान्य सूत्र एनएएक्स $[(\text{ए1ओ2})\text{x}]\text{एसआईओ2}\text{वाई}$ जेडएच2ओ के रूप में दिया जाता है।*
- 7. पीयूसी प्राथमिक रूप से जल को मृदु बनाने के लिए डिटरजेंट बिल्डर का कार्य करता है। परिणामस्वरूप जल के मृदु होने पर सफाई करने के लिए कम साबुन की जरूरत पड़ती है क्योंकि कैल्शियम आयोन की मॉपिंग में साबुन बर्बाद नहीं होता है।*
- 8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 38 के अंतर्गत आता है। संबद्ध वस्तु याचिका दायर करने के समय सीमा शुल्क उपशीर्ष 38249022 के अंतर्गत वर्गीकृत थी; तथापि यह वर्गीकरण बदलकर 38249922 हो गया है। यह भी नोट किया गया है कि उत्पाद को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत भी आयातित किया जा रहा है जैसे 38249090, 38249990, 28429090, 28269000, 28399090 और 28421000। इसके मद्देनजर ऐसे सभी सूचित शीर्षों को भी वर्तमान जांच के दायरे में शामिल किया गया है। किसी भी तरह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है।*
8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन, और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित वस्तु नियमावली के अनुसार समान वस्तुएं हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय

हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) दायरे और अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा एवं स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

9. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों कोई अनुरोध नहीं किये हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

10. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

- i. यह आवेदन मैसर्स गुजरात क्रेडो मिनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जीसीएमआईएल) द्वारा दायर किया गया है।
- ii. निर्णायक समीक्षा जांच में घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।
- iii. आवेदक ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे भारत में किसी आयातक या संबद्ध देश में किसी उत्पादक / निर्यातक से संबंधित हैं।
- iv. भारत में संबद्ध वस्तु का एक और उत्पादक मेसर्स केमिकल इंडिया है।
- v. आवेदक कंपनी का उत्पादन नियम 2(ख) के अनुसार कुल भारतीय उत्पादन का "एक प्रमुख हिस्सा" बनता है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. एडी नियमावली के नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले 'घरेलू उद्योग' शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।"

12. मैसर्स गुजरात क्रेडो मिनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जीसीएमआईएल) द्वारा दायर किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक कंपनी का उत्पादन भारत में संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का *** प्रतिशत है। आवेदक ने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वह उसके किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं है। यह नोट किया जाता है कि यद्यपि नियम 23 के अंतर्गत शुरू की गई निर्णायक समीक्षा में नियम 5(3) के अर्थ के भीतर स्थिति संबंधी अपेक्षा को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। तथापि, आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड. विविध

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

13. हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किये हैं:

- i. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना जांच शुरूआत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। आरोप अनुमान और मान्यताओं पर आधारित हैं। प्रस्तुत आंकड़ों से कोई तार्किक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है प्राधिकारी को जांच शुरूआत को उचित ठहराने की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए साक्ष्य की सत्यता और पर्याप्तता की जांच करनी चाहिए। प्राधिकारी को "पर्याप्त" साक्ष्य की अपेक्षा के तहत

“प्रथमदृष्ट्या” साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राधिकारी ने संयुक्त राष्ट्र - कनाडा से सॉफ्टफूड लुंबर, ग्वाटेमाला - सेमेंट II और मैक्सिको - स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स में पैनल के निर्णय का संदर्भ दिया गया है।

- ii. यह याचिका पाटनरोधी करार और व्यापार सूचना सं. 01/2022 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत विहित अनेक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है। व्यापार सूचना सं. 01/2022 खंड 2) VI (के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार जांचकर्ता अधिकारी को अनुबंध I में वचनबद्धता देने के बाद डीजीटीआर को आवेदक द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ों को देख सकता है। इसके अलावा, सेस्टेट ने *एक्सोटिक डेकोर प्रा. लिमिटेड और अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय* में प्राधिकारी का एक दायित्व बताया था कि वे आयात आंकड़ों को उसी ढंग और तरीके से प्रदान करेंगे जिससे वे रिकार्ड में लिये गये थे। तथापि, प्राधिकारी ने 16 दिसंबर, 2012 को प्रयोक्ता द्वारा अनुरोध करने के बाद सौदावार आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये हैं।

ड.2. घरेलू उद्योग के विचार

14. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किये हैं:

- i. प्रतिवादी ने नियम 5(3) के अंतर्गत और “प्रथमदृष्ट्या” शब्द के बीच अनावश्यक रूप से भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास किया है। जबकि प्राधिकारी पर्याप्त जांच के बाद प्रथमदृष्ट्या मामला बनाते हैं।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

15. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विविध अनुरोधों पर उनके संगत पाये जाने की सीमा तक नीचे ध्यान दिया गया है:

- i. आवेदन में किये गये अनुरोध के संदर्भ में वर्तमान जांच की शुरुआत के औचित्य के अभाव के बारे में प्राधिकारी इस आकलन से असहमत हैं और मानते हैं कि जांच शुरुआत करने की अपेक्षाओं को पूरा किया गया है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों ने साक्ष्य प्रस्तुत किये कि लागू शुल्कों से चीन जन. गण. से पाटित आयातों को कम करने में मदद मिली है और भारतीय बाजार पर कब्जा जमाने के लिए संबद्ध देश के पास पर्याप्त क्षमताएं मौजूद हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि संबद्ध देश में उत्पादकों का काफी अधिक निर्यात रूझान है। इस प्रकार अनुरोध के विश्लेषण से पता चला कि जांच शुरुआत में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद थे जो चीन जन. गण. से आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति पर पाटन के जारी रहने या की पुरावृत्ति होने की संभावना दर्शा रहे थे।
- ii. इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क निराधार हैं और वास्तविक आधार के बिना हैं। विशिष्ट उदाहरण या आधारों के अभाव में प्राधिकारी आवेदन के अधूरे होने पर विस्तार से ध्यान नहीं दे सकते हैं। प्राधिकारी ने आवेदन के तथ्यों का आकलन करते समय वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष प्रक्रिया को अपनाया है और बाद में जांच की कार्यवाही की है।
- iii. आयात आंकड़ों के संबंध में प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा और मूल्य निर्धारित करने के लिए डीजीसीआई एंड एस से सौदावार आंकड़े लिये हैं। डीजीसीआई एंड एस के आंकड़े चीन जन. गण. से कोई आयात सौदे नहीं दर्शाते हैं। प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रदत्त आयात मात्रा और मूल्य पर विचार किया है। हितबद्ध पक्षकारों को इस निष्कर्ष पर टिप्पणी करने का अवसर दिया जा रहा है।
- iv. इसके अलावा, यह अनुरोध किया गया है कि डीजीटीआर निरंतर डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा कर रहा है जो विश्वसनीय और प्रमाणित सूचना उपलब्ध कराता है और वर्तमान जांच में उस पर भरोसा और उसकी जांच की गई है।

च. पाटन के जारी रहने का आकलन और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

16. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

- i. पीओआई के दौरान चीन जन. गण. से पीयूसी का कोई आयात नहीं हुआ है। इसलिए पीओआई में कोई पाटन नहीं हुआ है और प्राधिकारी को याचिका में निर्धारित पाटन मार्जिन को अस्वीकार करना चाहिए जैसा कि पूर्ववर्ती एसएसआर जांच¹ में प्राधिकारी द्वारा किया गया था।

च.2. घरेलू उद्योग के विचार

17. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किये हैं:

- i. चीन को प्राधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती मामलों में अपनाई गई स्थिति और अन्य देशों में जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। चीन के उत्पादकों की लागत और कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु भरोसा नहीं किया जा सकता है।
- ii. प्राधिकारी को सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु अनुबंध I के पैरा 1-6 का केवल तभी पालन करना चाहिए जब चीन की प्रतिवादी कंपनियां यह सिद्ध करें कि उनकी लागत और कीमत सूचना ऐसी है कि अलग सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है। यदि चीन की प्रतिवादी कंपनियां यह दर्शाने में असमर्थ रहती हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना अपनाई जा सकती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अलग पाटन मार्जिन के दावे को अस्वीकार करेंगे।
- iii. नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 1 से 6 चीन जन. गण. से आयातों के लिए सामान्य मूल्य की गणना में तब तक लागू नहीं होते हैं जब तक उत्पादक/निर्यातक पर्याप्त साक्ष्य सहित यह दर्शाएँ कि वह बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति में प्रचालन कर रहा है। परिणामस्वरूप चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित करना होगा।
- iv. चीन के उत्पादकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था महौल में कार्यरत कंपनी मानना अपेक्षित है और प्राधिकारी को अनुबंध I के पैरा 7 के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना अपेक्षित है।
- v. आवेदक ने भारत में घरेलू उद्योग की लागत को तर्कसंगत लाभ जोड़कर, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ जोड़ने के बाद इसके आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के अनुमान के अनुसार सामान्य मूल्य परिकलित किया है।
- vi. वर्तमान अवधि के दौरान उत्पाद की कोई ज्ञात आयात नहीं हुये हैं और उत्पाद का इस समय पाटन नहीं हो रहा है। तथापि, पर्याप्त साक्ष्य हैं कि शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- vii. आवेदक ने उस कीमत जिस पर आवेदक घरेलू बाजार में उत्पाद को बेच रहा है, पर विचार करते हुये निर्यात कीमत निर्धारित की है। इस प्रकार यह कीमत अधिकतम कीमत मानी ई है जिस पर चीन के उत्पादक आवेदक द्वारा और अन्य उत्पादक या अन्य विदेशी उत्पादकों द्वारा की जा रही बिक्री को प्रतिस्थापित करने के लिए भारतीय बाजार में समान उत्पाद को बेच सकते हैं।
- viii. निर्यातकों ने दावा किया है कि वे भारत को कम मात्रा में निर्यात कर रहे हैं और यह दलील नहीं दी है कि वे भारत में वस्तु का पाटन नहीं कर रहे हैं जो पाटन के जारी रहने का स्पष्ट संकेत है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

च.3.1. सामान्य मूल्य

18. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

¹ चीन जन.गण ., जापान, कोरिया गणराज्य, रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया से "अलॉय या गैर अलॉय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के निर्णायक समीक्षा, अंतिम जांच परिणाम सितंबर 14, 2022

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

19. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा:

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

- (ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सविडि तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे”
20. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि 11.12.2016 को अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेशन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के तहत दायित्वों के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से भारत की नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को पूरा किए जाने की अपेक्षा है।
21. मैसर्स चाल्को शेडिंग एडवांस्ड मटेरियल कंपनी लिमिटेड और मेसर्स चाल्को किंगदाओ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ने भागीदारी की है और प्रश्नावली का उत्तर दिया है। तथापि, उन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। इस प्रकार सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है।
22. नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 निम्नानुसार पठित है :
- “गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देकते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।”
23. पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण का क्रम निर्धारित किया गया है और यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा या जहां ऐसा संभव नहीं हो, वहां समान उत्पाद के लिये भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत जिसे यदि आवश्यक हो तो, तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करते हुए विधिवत रूप से समायोजित किया गया हो, सहित उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य को अनुबंध 7 में प्रदत्त विभिन्न क्रमबद्ध विकल्पों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना अपेक्षित है। किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत या परिकलित मूल्य का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। भारत में ऐसे देशों से इस समय आयात हो रहे हैं जो पाटनरोधी जांच के अधीन हैं। इस प्रकार बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत में आयात नहीं अपनाये जा सकते हैं। सामान्य

मूल्य भारत सहित अन्य देशों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से कीमत पर आधारित नहीं हो सकती है क्योंकि इस संबद्ध वस्तु का कोई समर्पित आइटीसीएचएसएन वर्गीकरण नहीं है।

24. अतः प्राधिकारी ने एडी नियमवली, 1995 के अनुबंध I के पैरा 7 में यथा निर्धारित "भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत" सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार के अनुसार चीन में संबद्ध आयातों का सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा लाभ के लिए तर्कसंगत योग के साथ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

च.3.2. निर्यात कीमत

25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से निम्नलिखित उत्पादक और निर्यातक ने प्राधिकारी को सूचना प्रस्तुत की है जिसका निर्यात कीमत और अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण में प्रयोग किया जा सकता है।
- मेसर्स चाल्को शानडोंग एडवांस्ड मटेरियल कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)
 - मेसर्स चाल्को किंगदाओ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (संबंधित व्यापारी/निर्यातक)
26. अतः प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा दिये गये उत्तर का निम्नानुसार विश्लेषण किया है:
- मेसर्स चाल्को शानडोंग एडवांस्ड मटेरियल कंपनी लिमिटेड, ("चाल्को एएम")) उत्पादक) और मेसर्स चाल्को किंगदाओ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (चाल्को किंगदाओ) (निर्यातक)
27. चाल्को शानडोंग एडवांस्ड मटेरियल कंपनी लिमिटेड एक सीमित देयता कंपनी है जिसे चीन जन. गण. के कंपनी कानून के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
28. पीओआई के दौरान चाल्को शानडोंग एडवांस्ड मटेरियल कंपनी लिमिटेड ने भारत को एक संबंधित पक्षकार अर्थात् चाल्को किंगदाओ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से कारखानाद्वारा आधार पर *** आरएमबी के बीजक मूल्य पर *** एमटी का निर्यात किया है।
29. चाल्को किंगदाओ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, निर्यात बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत, बैंक प्रभार के लिए समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी ने उनकी अनुमति दी है। तदनुसार, चाल्को शानडोंग एडवांस्ड मटेरियल कंपनी लिमिटेड के लिए कारखानाद्वारा स्तर पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

30. चीन जन. गण. के सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात मूल्य निर्धारित किया गया है। निर्यात कीमत सहयोगी उत्पादक और निर्यातक के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है। चूंकि ये सीआईएफ निर्यात कीमत है इसलिए इसे समुद्री भाड़ा, सीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभारों, अंतरदेशीय भाड़ा, कमीशन जैसे खर्चों के लिए समयोजित किया गया है ताकि कारखानाद्वारा निर्यात कीमत निर्धारित की जा सके।

च.3. पाटन मार्जिन का निर्धारण

प्राधिकारी द्वारा जांच

31. संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया जाना है:

पाटन मार्जिन

क्र. सं.	उत्पादक	सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/केजी)	कुल निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/केजी)	पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/केजी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज%)
1	चाल्को शानडोंग एडवांस्ड मटेरियल कंपनी लिमिटेड (सीएसएएमसीएल)	***	***	***	***	130-140
2	चीन जन. गण. से सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	130-140

छ. क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

32. क्षति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- आवेदक को क्षति अन्य कारकों की वजह से हुई है जिनमें क्षमता की सीमा के कारण प्रयोक्ता उद्योग की मांग को पूरा करने की क्षमता में कमी। इसके संयंत्र में तकनीकी उन्नयन के कारण उत्पादन में कमी और 2021 में भारी बारिश कोविड-19 के कारण 2019-20, 2020-21 के दौरान शटडाउन का मामूली प्रभाव और जीसीएमआईएल की अपनी खुद की अक्षमताएं शामिल हैं।
- आवेदक को कुल मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है क्योंकि चीन जन. गण. से आयात आधार वर्ष से जांच अवधि में 100 सूचीबद्ध बिंदुओं से घटकर शून्य रह गये हैं जबकि आवेदक और अन्य घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्रियां क्षति अवधि के दौरान काफी बढ़ गई हैं जो संबद्ध वस्तु की मांग से अधिक हैं।
- आवेदकों की निर्यातों में पीओआई में 35 गुना तक वृद्धि हुई है जिससे संकेत मिलता है कि आवेदक ने घरेलू बिक्रियों के लिए कम मात्रा रखकर निर्यात बाजारों पर अपना फोकस शिफ्ट किया है जिसके परिणामस्वरूप वे देश में मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
- आवेदक ने आवेदन में स्वीकार किया है कि चीन से संबद्ध आयातों की कम मात्रा थाईलैंड/ईरान/यूआई से कथित पाटित आयातों के कारण रही है इसलिए चीन जन. गण. पर शुल्क की मौजूदगी या गैर मौजूदगी चीन के आयातों में गिरावट के कारण नहीं हुई है।
- यद्यपि आयातों और संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष से पीओआई के दौरान भारी गिरावट आई है। तथापि आवेदक के बाजार हिस्से में 16 प्रतिशत से 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो यदि आवेदक निर्यात बाजारों पर फोकस नहीं करता तो और अच्छी हो सकती है।
- आवेदक उत्पादन लागत में बदलाव के अनुरूप अपनी कीमतों में बदलाव करने में सक्षम रहा है जिस प्रकार कोई कीमत ह्रास या न्यूनीकरण नहीं हुआ है।
- आवेदक ने पीओआई से पहले तीन वर्षों के लिए कीमत कटौती से संबंधित सूचना को दबाने का प्रयास किया है। चूंकि पीओआई में संबद्ध देश से पीयूसी का कोई आयात नहीं हुआ है। इसलिए पीओआई में कीमत कटौती मौजूद नहीं है।
- आवेदक को संबद्ध आयातों के कारण कोई वास्तविक क्षति नहीं हो रही है क्योंकि घरेलू बिक्रियां उत्पादन और क्षमता उपयोग दोगुने हो गये हैं जबकि आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरा मजदूरी और उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई है। आवेदक के वित्तीय विवरण भी मानते हैं कि वे वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में सिंथेटिक जियोलाइट की रिकार्ड उत्पादन और बिक्री करने में सक्षम रहे थे।
- क्षति अवधि के दौरान पीयूसी के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि का कारण क्या है जबकि उसी अवधि में कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है जिसे सत्यापित करना चाहिए।

- x. आवेदक ने प्रपत्र IVक के अंतर्गत विसंगति लाभप्रदता आंकड़ों का दावा किया है। आवेदक ने समग्र मूल्य पर पीबीआईटी के लिए सकारात्मक आंकड़े का दावा किया है जबकि प्रति इकाई मूल्य में पीबीआईटी के ऋणात्मक होने का दावा किया गया है। इसके अलावा, आवेदक ने पीयूसी के प्रपत्र IVक के अंतर्गत घाटे का दावा किया है जबकि आवेदक ने 2021-22 के लिए वित्तीय विवरणों में लाभप्रद वर्ष की सूचना दी है।
- xi. आवेदक ने अपने वित्तीय विवरण 2021-22 में बताया है कि इसके संयंत्र प्रचालनों में उच्चतर नौवहन, लॉजिस्टिक और निविष्टि लागतों, उच्चतर ऊर्जा और कोयले की कीमतों के कारण प्रभाव पड़ा था जबकि वह बढ़ी हुई लागत को उपभोक्ता तक पास करने में सफल रहे थे। आवेदक को इन कारकों की वजह से कोई क्षति नहीं हुई है।
- xii. आवेदक विभिन्न प्रकार के बाक्साइट और जियोलाइट के उत्पादन में शामिल हैं जो पीयूसी से अलग उत्पादों की और डिटरजेंट के अलावा उद्योगों की मांग पूरी करता है और इसलिए यह पुष्टि करनी चाहिए कि क्या (क) सूचित क्षमता संबंधी आंकड़े पीयूसी के उत्पादन के लिए आवंटित होते हैं और अन्य उत्पादों के लिए नहीं तथा (ख) सूचित क्षमता अनुमानित है या वास्तविक क्षमता है।
- xiii. पीयूसी के डाउनस्ट्रीम उत्पादों के उत्पादकों को चीन जन. गण. और थाईलैंड से इतर देशों से आयात करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है क्योंकि घरेलू उत्पादकों का पूर्ण क्षमता उपयोग भी पीयूसी की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, आवेदक ने अनेक बार क्षमता की सीमायें बताते हुए आवंटन बढ़ाने के प्रयोक्ता के अनुरोधों से इंकार किया है।
- xiv. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. में पीयूसी की क्षमताएं भारत में मांग से कई गुना अधिक हैं। तथापि, इस दावे के समर्थन में आवेदक द्वारा भरोसा की गई वेबसाइटें यही बात नहीं बताती हैं। इसके अलावा, आवेदक ने अप्रयुक्त क्षमताओं संबंधी कोई सूचना नहीं दी है, बल्कि केवल “क्षमता” (एमटी प्रति वर्ष) बताई गई है जो संबद्ध देश से संभवतः कथित क्षमता दर्शाती है और न कि अप्रयुक्त क्षमता को।
- xv. पी ओ आई के दौरान पीयूसी का कोई आयात नहीं हुआ है और इसलिए कोई कीमत ह्रास/न्यूनीकरण नहीं हो सकता है।
- xvi. क्षति अवधि के दौरान पीयूसी के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है जबकि उसी समय कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। इसकी जांच होनी चाहिए।
- xvii. आवेदक बाक्साइट और जियालाइट की विभिन्न उत्पादों में शामिल है जो पीयूसी से इतर तथा डिटरजेंट से अलग उद्योगों की मांग को पूरा करता है और इसलिए उसे पुष्टि करनी चाहिए कि क्या (क) सूचित क्षमता आंकड़े पीयूसी के उत्पादन में आवंटित हैं और अन्य उत्पादों के लिए नहीं और (ख) सूचित क्षमता अनुमानित है या वास्तविक क्षमता है।
- xviii. भारत में पीयूसी की मांग और आपूर्ति में अंतर है।
- xix. कोविड-10 महामारी के कारण पीयूसी विनिर्माताओं के संयंत्रों में अनियोजित शटडाउन हुये थे जिससे आपूर्ति में कमी आई।
- xx. क्षति अवधि में मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी और संबद्ध आयातों में तेजी से गिरावट आई थी जो पीओआई में भी मामूली थी। आवेदक को कथित घाटा सीमित क्षमता, शटडाउन आदि जैसे कारकों की वजह से हुआ है जिन्होंने घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित किया है। चूंकि संबद्ध आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध में मौजूद नहीं है इसलिए वर्तमान जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।
- xxi. तरल डिटरजेंट धीरे-धीरे पाउडर डिटरजेंट का स्थान ले रहा है और जियोलाइट4 ए की वैश्विक मांग में गिरावट आ रही है। भारत को किंगडाओं के निर्यात में मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के लागू होने के बाद भारी गिरावट आई है।
- xxii. वैश्विक ऊर्जा संकट के प्रभाव के अधीन कच्ची सामग्री की बढ़ती हुई लागत से पीयूसी की उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई है। पर्यावरण संरक्षण में कंपनियों के निवेश से भी पीयूसी की उत्पादन लागत बढ़ गई है।

- xxiii. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के कारण भारतीय उत्पादकों को विदेश से पीयूसी के आयातों की उच्चतर लागत को वहन करना होगा जिससे भारतीय बाजार में पीयूसी की उपलब्धता प्रभावित हुई है।
- xxiv. घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन में भी लाभों के अलावा तेजी से सुधार भी हुआ है। याचिकाकर्ता को आधार वर्ष 2018-19 के दौरान पहले से घाटा हो रहा था। तथापि, यह लाभ में बदल गया है और शुल्क लागू होने के बावजूद पुनः घाटा होने लगा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चीन जन. गण. से आयातित वस्तु पर शुल्क का याचिकाकर्ता के घाटों के साथ कोई सह संबंध नहीं है।
- xxv. आवेदक ने अपने वित्तीय विवरण 2021-22 में बताया है कि उसके संयंत्र प्रचालन उच्चतर नौवहन, लॉजिस्टिक और निविष्टि लागतों, उच्चतर ऊर्जा और कोयले की कीमतों के कारण प्रभावित हुये हैं। तथापि, बढ़ी हुई लागत को उपभोक्ता पर डालने में सफल रहे हैं। इन कारकों की वजह से आवेदक को कोई क्षति नहीं हो रही है।

छ.2. घरेलू उद्योग के विचार

33. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किये थे:

- i. भारत ने संबंधित उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत में आधार वर्ष से 2020-21 तक गिरावट आई है और पीओआई में भारी वृद्धि हुई है।
- ii. चीन से आयातों में क्षति अवधि में गिरावट आई है और पीओआई में आयात मौजूद नहीं हैं। पीओआई के दौरान चीन से आयात नहीं होना निम्न का परिणाम माना जाना चाहिए (क) चीन पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क और (ख) थाईलैंड और ईरान/यूएई से पाटित आयात।
- iii. चीन से आयातों में शुल्क लागू होने के परिणामस्वरूप समग्र और सापेक्ष दोनों तरह से गिरावट आई है।
- iv. चीन से आयात क्षति अवधि के दौरान अपने होने पर घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रहे थे। चूंकि पीओआई में चीन से कोई आयात नहीं हुये थे। इसलिए कीमत कटौती निर्धारित नहीं की जा सकती है।
- v. यद्यपि उत्पादों का पीओआई के दौरान चीन से पाटन नहीं हो रहा था। तथापि, थाईलैंड और ईरान/यूएई से पाटित आयात हुये थे जिनसे घरेलू उद्योग की कीमत पर न्यूनकारी प्रभाव पड़ा था।
- vi. चीन से आयात होने पर क्षति अवधि में ये घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री के स्तर से भी कम थे जिससे शुल्क की समाप्ति पर न्यूनीकरण की संभावना का पता चलता है।
- vii. घरेलू उद्योग की क्षमता सतत रही है। घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, क्षमता उपयोग ईष्टतम स्तर पर नहीं था। घरेलू उद्योग की बिक्री में भी वृद्धि हुई है।
- viii. उत्पादन और बिक्री में वृद्धि संभव हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग अन्य देशों से पाटित आयातों का मुकाबला करने के लिए काफी कम कीमत पर बिक्री कर रहा है।
- ix. वर्तमान में घरेलू उद्योग को हो रहा घाटा मूल जांच की क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के घाटे से अधिक है।
- x. मौजूदा शुल्क और अन्य देशों से पाटन के कारण पीओआई में चीन के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा वर्तमान शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घट जाएगा और चीन से पाटित आयात की पुनरावृत्ति होगी।
- xi. घरेलू उद्योग के लाभ 2019-20 तक कम थे। वे शुल्क की मौजूदगी के बावजूद क्षति अवधि में कम हुये और ऋणात्मक हो गये। अन्य देशों से पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को पूरी क्षति अवधि में लागत से कम कीमत पर बिक्री करने में मजबूर किया है।
- xii. घरेलू उद्योग के निवेश पर आय भी 2019-20 को छोड़कर पूरी क्षति अवधि में ऋणात्मक रही है और इस समय आधार वर्ष की क्षति अवधि में मौजूद स्तर से भी निचले स्तर पर है।
- xiii. घरेलू उद्योग की मालसूची संपूर्ण क्षति अवधि में काफी अधिक बनी रही है।

- xiv. देश में प्रचलित कानून के अनुसार कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई जबकि मजदूरी में वृद्धि हुई है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है।
- xv. कीमत मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि अन्य देशों से पाटित आयातों के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है।
- xvi. थाईलैंड और यूएई से पाटित कीमतों पर आयात हुये हैं।
- xvii. प्रस्तावित क्षति अवधि के दौरान उत्पाद की मांग में कोई गिरावट नहीं आई है। मांग में गिरावट का घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।
- xviii. घरेलू उद्योग को थाईलैंड और ईरान से पाटित आयातों के कारण क्षति हो रही है। घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी चीन, थाईलैंड और ईरान में उत्पादकों द्वारा अपनाई जा रही प्रौद्योगिकी से तुलनीय है।
- xix. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- xx. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति में वृद्धि हो सकती हो।
- xxi. उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इसलिए यह दावा की गई क्षति का कारण नहीं है।
- xxii. घरेलू उद्योग ने प्रस्तावित क्षति अवधि में निर्यात किये हैं। तथापि, निर्यात कुल बिक्री का नगण्य हिस्सा हैं। किसी भी तरह निर्यातों संबंधी सूचना को संबंधित बिक्री और कीमतों के बारे में अलग-अलग किया गया है।
- xxiii. घरेलू उद्योग द्वारा और विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित कीमतों के बीच भारी अंतर है। परिणामस्वरूप आयातों के कारण घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हो रही है।
- xxiv. विचाराधीन उत्पाद के आयातों में गिरावट आई है। यद्यपि संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग को अन्य स्रोतों से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण ईष्टतम स्तर तक बाजार हिस्से को प्राप्त करने की वृद्धि से रोका गया है।
- xxv. कीमत कटौती के कारण घरेलू उद्योग लागत वृद्धि के अनुसार अपनी कीमतें नहीं बढ़ा पाया है।
- xxvi. कीमत न्यूनीकरण के कारण घरेलू उद्योग को ऋणात्मक लाभ हुआ है।
- xxvii. ऋणात्मक लाभों के कारण पीबीआईटी और निवेश पर आय पर गिरावट आई है।
- xxviii. वास्तविक आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की उचित कीमत से कम रही है।
- xxix. घरेलू उद्योग की वृद्धि पीओआई में अनेक कीमत मापदंडों के संबंध में ऋणात्मक हो गई है जो संबद्ध देशों से पाटन के कारण हुआ है।
- xxx. चीन के आयात आवेदक द्वारा किसी आधिकारिक स्रोत से नहीं पाये गये थे। तथापि, प्रतिवादी निर्यातक ने वर्तमान पीओआई के दौरान भारत में आयातों में वृद्धि दर्शाई है जिससे पता चलता है कि ये आयात रिकार्ड से बाहर थे और उचित माध्यम से नहीं भेजे गये थे।
- xxxi. निर्यातकों ने दावा किया है कि वे भारत को कम मात्रा में निर्यात कर रहे हैं और यह दलील दी है कि वे भारत में वस्तु का पाटन नहीं कर रहे हैं जो पाटन के जारी रहने का स्पष्ट संकेत है।
- xxxii. आधार वर्ष में याचिकाकर्ता द्वारा निर्यात में वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं था। निर्यात बिक्रियां घरेलू बिक्रियों की तुलना में नगण्य (पीओआई में 2 प्रतिशत) हैं और आवेदक प्राधिकारी से गोपनीय अनुरोधों के जरिये इस तथ्य के सत्यापन का अनुरोध करता है। वास्तव में तीसरे देशों में चीन द्वारा पाटन के कारण जैसा कि तीसरे देश के आंकड़ों तथा अन्य देशों से आयातकों द्वारा ई-मेल पत्रों के माध्यम से साक्षांकित किया गया है, के कारण क्षति अवधि के अंतिम दो वर्षों के दौरान इसमें गिरावट आई है।
- xxxiii. वर्ष 2021-22 में उत्पादन लागत में वृद्धि वैश्विक लागतों में वृद्धि को दर्शाती थी। आवेदक ने कीमत वृद्धि से अधिक लागत वृद्धि की बड़ी राशि को देखा है और ये घरेलू उद्योग की कीमतें वैश्विक रुझानों से मिलती-जुलती हैं।

xxxiv. कोविड-19 महामारी एक वैश्विक समस्या थी जिसने आवेदक को प्रभावित किया जिसने बाद में पीओआई के दौरान और पूर्ववर्ती वर्ष में उत्पादन और बिक्रियों को बढ़ाया।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

34. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच की प्रक्रिया के दौरान किये गये और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गये अनुरोधों की जांच की गई है और वर्तमान अधिसूचना में समाधान किया गया है।
35. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस संबंध में, किये गये विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के संभावना पहलुओं की जांच से पहले घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति यदि कोई हो, की जांच की है।
36. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण वास्तव में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों का समाधान करता है।
37. इस तथ्य के संबंध में कि आवेदक का फोकस निर्यातों पर बढ़ गया है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक के निर्यात बिक्रियां, क्षमता, उत्पादन और बिक्रियों के संबंध में नगण्य हैं।
38. इस तर्क के संबंध में कि जियोलाइट और बॉक्साइट आवेदक द्वारा उत्पादित होते हैं और इसलिए क्या सूचित क्षमता आंकड़ों को पीयूसी के उत्पादन के लिए और न कि अन्य उत्पादों के लिए आवंटित किया गया है और क्या सूचित क्षमता अनुमानित या वास्तविक क्षमता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा सूचित क्षमता जियोलाइट के लिए है और न कि बॉक्साइट के लिए। क्षमता समग्र रूप से जियोलाइट के लिए सामान्य है। तथापि, बिक्री, बिक्री कीमत, लाभप्रदता, आरओआई आदि संबंधी सूचना पर केवल संबद्ध वस्तु के लिए विचार किया गया है।
39. इस तर्क के संबंध में कि जियोलाइट 4ए की मांग में वैश्विक रूप से गिरावट आ रही है। यह देखा गया है कि इस दावे को सही सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। किसी भी तरह यह देखा गया है कि भारत में वर्तमान क्षति अवधि में मांग में वृद्धि हुई है।
40. इसके अनुलग्नक-II के साथ पढ़े गए नियमों के नियम 11 में प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, *"... डंप किए गए आयात की मात्रा, उद्योग पर उनके प्रभाव सहित सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतें और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयात का परिणामी प्रभाव।"*
41. प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के संभावना पहलुओं की जांच की कार्रवाई से पहले संबद्ध देश से आयातों के कारण विभिन्न क्षति मापदंडों की जांच की है। पाटित आयातों की मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से पाटित आयातों में भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में काफी अधिक कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।
42. नियमावली के नियम 23 के तहत यह प्रावधान है कि नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, और 20 के प्रावधान निर्णायक समीक्षा के मामले में आवश्यक संशोधन सहित लागू होंगे। प्राधिकारी ने इस जांच में क्षति संबंधी मापदंडों का मूल्यांकन किया है जो नियमावली तथा नियमावली के अनुबंध-II के अंतर्गत अपेक्षित है तथा यह जांच भी की है कि क्या शुल्क समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन

43. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादनों की घरेलू बिक्रियों तथा डीजीसीआई एंड एस डेटा के अनुसार सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में शामिल किया है। निर्यातक ने भारत में अधिक निर्यातों की सूचना दी है। इस प्रकार, चीन से आयातों पर प्रतिवादी निर्यातक द्वारा दाखिल किए उत्तर के आधार पर विचार किया गया है:

विवरण		2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	133	135	175
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	66	110	152
जांचाधीन देशों से आयात	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	352	301	360
संबद्ध देश चीन से आयात	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	09	13	05
अन्य देशों से आयात	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	266	325	1317
कुल मांग/ खपत	मी. टन	***	***	***	***
कुल मांग/ खपत	सूचीबद्ध	100	105	103	126

44. यह देखा गया है कि वर्ष 2019-20 तक मांग में वृद्धि हुई और 2020-21 में उसमें गिरावट आई, तदोपरान्त, जांच की अवधि में मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव**क) आयात मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा**

45. संबद्ध देश से पाटित आयातों और अन्य देशों से आयातों की मात्रा के प्रभाव की प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार जांच की गई है।

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
आयात मात्रा					
संबद्ध देश- चीन	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	09	13	05
जांचाधीन देशों से आयात	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	352	301	360
अन्य देश	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	266	325	1317
कुल आयात	मी. टन	***	***	***	***
कुल आयात	सूचीबद्ध	100	103	93	109

निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
कुल आयात	%	***	***		***
	सूचीबद्ध	100	08		04
भारतीय उत्पादन	%	***	***		***
	सूचीबद्ध	100	08		03
भारतीय खपत	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	10	13	04

46. यह देखा गया है कि:

- क. चीन जन. गण. से आयातों में, शुल्क लगाए जाने के कारण क्षति अवधि के दौरान महत्वपूर्ण गिरावट आई है।
- ख. अन्य देशों (जांचाधीन देश) से आयातों में क्षति अवधि के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। प्राधिकारी थाईलैंड और ईरान से जियोलाइट के आयातों पर एक समानांतर पाटनरोधी जांच शुरू कर रहे हैं।

पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

47. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किए जाने की जरूरत है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से महत्वपूर्ण कीमत कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव महत्वपूर्ण मात्रा में कीमतों को अन्यथा दबाने अथवा कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो सामान्य स्थिति में अन्यथा वृद्धि होती।

क) कीमत कटौती

48. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। कीमत कटौती की गणना करने के लिए क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत की तुलना की गई है।

i. पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत कटौती

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
आयातों की पहुंच कीमत	रु./कि.ग्रा	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	101	88	123
निवल बिक्री कीमत	रु./कि.ग्रा	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	103	103	118
कीमत कटौती	रु./कि.ग्रा	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	103	103	118
कीमत कटौती%	%	***	***	***	***
	रेंज	15-25	15-25	35-45	10-20

ii. पाटनरोधी शुल्क के साथ कीमत कटौती

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
पाटनरोधी शुल्क के साथ पहुंच कीमत	रु./कि.ग्रा	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	104	93	118

निवल बिक्री कीमत	रु./कि.ग्रा	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	103	103	118
कीमत कटौती	रु./कि.ग्रा	***	***	***	***
कीमत कटौती%	%	***	***	***	***
	रेंज	(10-20)	(0-10)	(0-10)	(10-20)

49. यह देखा गया है कि संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रहा है। संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के बीच अंतर वास्तव में, बढ़ा है। जांच की अवधि में महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है।

ख) कीमत ह्रास या दबाव

50. घरेलू बाजार में कीमत ह्रास और दबाव का विश्लेषण करने के प्रयोजन से आवेदक ने (क) बिक्रियों की यूनिट लागत, (ख) घरेलू बिक्री कीमत के बारे में सूचना प्रदान की है।

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बिक्री की लागत	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	100	113	122	137
बिक्री कीमत	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	100	103	103	118
आयातों की पहुंच कीमत	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	100	101	88	123

51. ऐसा देखा गया है कि संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान बिक्री की लागत में वृद्धि हुई है। हालाँकि, घरेलू उद्योग बिक्री की लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि करने में सक्षम नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण कीमत में गिरावट आई है। इसके अलावा, संबद्ध आयात का पहुंच मूल्य बिक्री की लागत के स्तर से काफी कम है। इन डंप किए गए आयातों का बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर निराशाजनक प्रभाव पड़ रहा था।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

52. नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकों का एक उद्देश्यपरक और पारदर्शी मूल्यांकन करना शामिल होना चाहिए, जिनका कि उद्योग की स्थिति से संबंध है, जिसमें बिक्रियों, लाभों, आउटपुट, बाजार अंश, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, वस्तु सूचियां, रोजगार, मजदूरी, विकास और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता शामिल है। तदनुसार, घरेलू उद्योग के संबंध में विभिन्न क्षति मापदंड नीचे दिए गए हैं:

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

53. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों की मात्रा पर विचार किया है:

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
स्थापित क्षमता*	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***

	सूचीबद्ध	100	145	154	192
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	144	151	204
घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	133	135	175

54. यह देखा गया है कि:

- घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति अवधि और जांच की अवधि के साथ-साथ मूल जांच के दौरान स्थिर रही।
- घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई
- घरेलू उद्योग की बिक्रियों में भी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ख) मांग में बाजार का हिस्सा

55. पूरी क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग का बाजार का हिस्सा इस प्रकार था:

मांग में बाजार का हिस्सा	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	126	132	137
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	60	100	120
जांचाधीन देशों से आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	342	300	289
संबद्ध देश चीन से आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	10	13	4
अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	-	-	-
कुल मांग/ खपत	%	100%	100%	100%	100%

56. मौजूदा शुल्कों के लागू होने और अन्य देशों से कथित पाटन होने के कारण चीन के बाजार हिस्से में जांच की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण गिरावट आई है। घरेलू उद्योग आधार वर्ष से जांच की अवधि तक अपने उत्पादन में वृद्धि करके अपने बाजार हिस्से को बढ़ाकर ***% से ***% तक कर पाया था। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि चीन पर मौजूदा शुल्क, अन्य देशों से पाटन जारी रहने के बावजूद, घरेलू उद्योग को केवल ***% के अपने बाजार हिस्से पर संतुष्ट होना पड़ा है।

ग) लाभप्रदता, नकदी लाभ और शामिल पूंजी पर प्रतिफल

57. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभों, लाभप्रदता, नकदी लाभों, ब्याज पूर्व लाभ, (पीबीटी), और निवेश पर प्रतिफल का इस प्रकार विश्लेषण किया गया है:

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***

सूचीबद्ध		100	113	122	137
विक्री की कीमत	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	102	103	118
लाभ	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	-563	-1108	-1045
लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	-749	-1500	-1832
नकदी लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	13	-70	-126
ब्याज और कर पूर्व लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	-94	-274	-327
शामिल पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	-70	-228	-310

58. यह देखा गया है कि:

- घरेलू उद्योग आधार वर्ष में लाभ अर्जित कर रहा था, तथापि, उसने वर्ष 2019-20 से पुनः हानियां उठाना शुरू कर दिया। जांच की अवधि में हानियां और भी बढ़ गई हैं।
- घरेलू उद्योग के नकदी लाभ में गिरावट वर्ष 2018-19 में *** लाख रु. से वर्ष 2019-20 में *** लाख रु. हो गई। यह वर्ष 2020-21 और जांच की अवधि में नकारात्मक हो गई।
- घरेलू उद्योग का आरओआई आधार वर्ष में सकारात्मक था, तथापि, यह वर्ष 2019-20 से नकारात्मक हो गया।

घ) वस्तुसूची

59. घरेलू उद्योग की वस्तुसूची की स्थिति के संबंध में आंकड़े क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान नीचे सारणी में दिए गए हैं।

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
औसत वस्तु सूची	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	50	14	7

60. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की वस्तुसूची के स्तर में वर्ष 2019-20 से गिरावट आई है।

ड) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

61. घरेलू उद्योग की रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति इस प्रकार है:

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	97	90	85

वेतन और मजदूरियां	लाख रु.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	128	120	135
प्रतिदिन उत्पादकता	मी.टन/दिन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	145	154	192

62. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि समस्त क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है और क्षति अवधि के दौरान भुगतान की गई मजदूरी में वृद्धि हुई है। पूरी क्षति अवधि में उत्पादन में वृद्धि के साथ ही प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

च) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

63. ऐसा देखा जा रहा है कि घरेलू उद्योग को घाटा हो रहा है, और इसलिए पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता सीमित है।

छ) पाटन और पाटन मार्जिन की मात्रा

64. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

ज) विकास

65. आवेदक कंपनियों के विकास के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
उत्पादन	वर्ष/वर्ष		0.45	0.06	0.25
घरेलू बिक्रियां	वर्ष/वर्ष		0.33	0.02	0.30
लाभ/हानि	वर्ष/वर्ष		(8.49)	1.00	0.22
नकदी लाभ	वर्ष/वर्ष		(0.87)	(6.36)	(2.81)

66. घरेलू उद्योग ने मात्रा संबंधी मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है और तथापि, कीमत संबंधी मापदंडों के संदर्भ में विकास नकारात्मक हो गया है।

i) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

67. परीक्षण से पता चलता है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग घरेलू उद्योग की वृद्धि के लिए सीमित कारक नहीं है। आयात की कीमतें घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करती हैं।

झ. कारणात्मक संबंध और अन्य कारक (गैर-आरोपण विश्लेषण)

68. प्राधिकारी ने पाटित आयातों के अलावा, अन्य ज्ञात कारकों की जांच की है और यह पता चला है कि क्या ये एक ही समय में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे थे ताकि इन कारकों के कारण हुई क्षति; यदि कोई हो के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न माना जाए। इस संबंध में जो कारक संगत हैं, वे अन्य के साथ-साथ आयातों की मात्रा और कीमत, जो पाटित कीमत पर नहीं हैं, मांग में कमी अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तनों, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाओं और विदेशी व घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में बदलाव और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है।

क) अन्य देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

69. प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, थाइलैंड और ईरान से आयातों पर एक समानांतर पाटनरोधी जांच की जा रही है। अन्य सभी देशों से आयात या तो न्यूनतम या उच्चतर कीमतों पर हैं।

ख) मांग की कमी

70. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है।

ग) खपत की पद्धति में परिवर्तन

71. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पादन के लिए खपत की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं है।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थिति और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं

72. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच में प्रतिस्पर्धा की स्थितियों अथवा किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाया गया है।

ड.) प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

73. यह देखा गया है कि प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

74. प्राधिकरण ने क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू परिचालन के आंकड़ों पर विचार किया है। घरेलू उद्योग की निर्यात मात्रा हमेशा कम रही है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

75. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति डेटा प्रदान किया है और इसे प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए अपनाया गया है। अन्य उत्पादित उत्पादों और आवेदक कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों पर विचार नहीं किया गया है।

क्षति मार्जिन की मात्रा

76. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी को घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई लागत और जांच की अवधि के लिए पेशेवर लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित सूचना/ डेटा को अपनाकर निर्धारण किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए एनआईपी पर विचार किया गया है। एनआईपी के निर्धारण के लिए, कच्ची सामग्रियों और युटिलिटी के सर्वोत्तम उपयोग पर क्षति अवधि के दौरान विचार किया गया है। उत्पादन की लागत से असाधारण अथवा गैर-आवर्ती उत्पादन क्षमता को बाहर किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए शामिल औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारण परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक तर्कसंगत प्रतिफल (कर पूर्व 22%) को कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमत किया गया था ताकि नियमावली के अनुबंध-III में यथानिर्धारित एनआईपी निकाली जा सके।

77. पहुंच कीमत और उपरोक्तानुसार निर्धारण एनआईपी के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है:

क्षति मार्जिन

क्र. सं.	विवरण	क्षति रहित कीमत (यूएस डॉलर/ कि.ग्रा)	पहुंच कीमत (यूएस डॉलर/ कि.ग्रा)	क्षति मार्जिन (यूएस डॉलर/ कि.ग्रा)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज %)
1	चाल्को शेनडोंग एडवांस मेटिरियल कं. लि. (सीएसएएमसीएल)	***	***	***	***	30-40
2	चीन जन. गण. से अन्य सभी उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	35-45

ज. पाटन और क्षति के जारी रखने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

78. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह एक निर्यातक समीक्षा जांच है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि वह किसी निरंतर क्षति का सामना नहीं कर रहा है और यह कि उसे पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में क्षति होने की संभावना है। तदनुसार, प्राधिकारी ने यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने की अनुमति दी जाती है तो पाटन के जारी रहने और पाटित आयातों के कारण क्षति की पुनरावृत्ति होने के संभावित परिदृश्य की जांच की है।

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

79. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति के जारी रहने अथवा क्षति की पुनरावृत्ति होने के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i) चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद कोई भी नया विकसित बाजार नहीं है। कंपनियों ने अन्य देशों को निर्यातों में वृद्धि नहीं की है, बल्कि इसे एक अपेक्षाकृत स्थायी स्तर पर बनाकर रखा है।
- ii) लिक्विड डिटरजेंट धीरे-धीरे पावर डिटरजेंट का स्थान ले रहा है और जियोलाइट 4 ए के लिए वैश्विक मांग में गिरावट आ रही है। भारत को किंगदाओ के निर्यात में मौजूदा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद से महत्वपूर्ण गिरावट आई है।
- iii) भारत को किंगदाओ के निर्यात में वृद्धि होगी यदि पाटनरोधी शुल्क को हटा लिया जाता है। तथापि, विकास दर निश्चय ही बड़ी नहीं होगी, क्योंकि बाजार में अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विगत 5 वर्षों के दौरान धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। तदनुसार, किंगदाओ अपनी बिक्रियों की रणनीति को अनुकूल करेगा।
- iv) आवेदक द्वारा दावे की पुष्टि करने के लिए इस बात पर भरोसा किया गया है कि चीन जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद की क्षमताएं भारत में मांग से कई गुणा अधिक हैं, इसे नहीं दर्शाती। इसके अलावा, आवेदक ने फालतू क्षमताओं के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की थी, बल्कि इसकी बजाय केवल 'क्षमता (मी. टन प्रति वर्ष)' पर ही संबद्ध देश में कथित क्षमता को संभवतः दर्शाया है न कि फालतू क्षमता को।
- v) ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया था, कि चीन के उत्पादकों ने क्षति अवधि के दौरान अपने उत्पादन का विस्तार किया है। आवेदक के दावे के लिए प्रस्तुत वेबसाइट साक्ष्य कि 'नाइक कैमिकल' ने अपनी जियोलाइट केटेलिस्ट की उत्पादन क्षमता का विस्तार किया है, में साक्ष्य/स्रोतों का अभाव हो, क्योंकि उक्त क्षमता विस्तार वर्ष 2002 से 2007 के बीच किया गया है।
- vi) आवेदक ने यह प्रमाणित करने के लिए कोई अनुरूपी साक्ष्य प्रदान नहीं किए कि चीन में उत्पादक अत्यधिक निर्यातोन्मुखी हैं, यह उनकी अत्यधिक उत्पादन क्षमता और वेबसाइट के अलावा कम घरेलू मांग की ओर इंगित करता है, जिसमें केवल चीन के उत्पादकों के निर्यात स्थान का विवरण प्रदान किया गया है।
- vii) आवेदक कोई विवरण देने में विफल रहे कि निर्यातों को चीन के उत्पादकों के लिए अन्य निर्यात बाजारों की मौजूदगी के बावजूद भारत को भेजा जाएगा।
- viii) आवेदक का यह दावा कि चीन के निर्यातों की अन्य देशों को कीमतें अर्थात् *** मी. टन की मात्रा भारत की कीमतों से कम है और "भारतीय मांग के संबंध में कीमत आकर्षक मात्रा" में बिना विश्वश्रेष्ठ साक्ष्य प्रदान किए दावे मात्र हैं। इसके अलावा, आवेदक ने यह निर्धारित करने के लिए कोई आंकड़े अथवा विश्लेषण प्रदान नहीं किया है कि भारतीय बाजार कीमत आकर्षक और संवेदनशील है।
- ix) शानडोंग क पास मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है और उसने एक अपेक्षाकृत स्थायी स्तर पर क्षमता को बरकरार रखा है।
- x) अन्य देशों जैसे थाइलैंड निर्यातकों ने भारतीय बाजार को कम कीमत के उत्पाद के पाट दिया है, क्योंकि पाटनरोधी शुल्क लगाए गए थे, जिससे भारत में विचाराधीन उत्पाद की बाजार कीमत पर प्रभाव पड़ेगा।

- xi) यदि चीन के निर्यातकों ने अन्य देशों को संबद्ध वस्तुएं पाटित की होती, तो ऐसे देशों ने उनके खिलाफ जांच शुरू की होती। तथापि, ऐसी कीर्ई जांच शुरू नहीं की गई है। याचिकाकर्ता केवल प्राधिकारी को निराधार आरोप लगाकर चालाकी से अपना काम निकालने का प्रयास कर रहे हैं।

ज.2 घरेलू उद्योग के विचार

80. घरेलू उद्योग द्वारा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- i) चीन से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क से चीन से आयातों में कमी आई है और घरेलू उद्योग को अपनी निष्क्रिय क्षमता का उपयोग करने में मदद मिली है। तथापि, थाइलैंड और ईरान/यूएई से संबद्ध वस्तुओं के पाटन में वृद्धि हुई है।

विवरण	युनिट	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
चीन जन.गण.	मी.टन	13,620	408	638	0
थाईलैंड+यूएई					
थाईलैंड	मी.टन	4,495	15,808	12,905	14,864
यूएई	मी.टन	-	-	618	1,339

- ii) चीन के पास भारत में मांग से कई गुणा अधिक निष्क्रिय क्षमता है। कुछेक अलग-अलग प्रमुख भागीदारों के पास भारत में समग्र घरेलू मांग से कई गुणा अधिक क्षमता है।

क्र. सं.	चीन में उत्पादक	क्षमता (मी. टन/ वार्षिक)
1.	हुइयिंग केमिकल इंडस्ट्री (क्वानझोउ कंपनी लिमिटेड) ²	1,50,000
2.	चाल्को शानडोंग कंपनी ³	2,40,000
3.	सिनो मैटिरियल टैक्नोलॉजी कं. लि. ⁴	1,00,000
4.	जालोन जियोलाइट ⁵	55,000
5.	यांगझोऊ गुआनमिन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कं. लि. ⁶	15,000
6.	नानजिंग योंगचेंग मॉलिक्यूलर सीव कं. लि. ⁷	10,000
7.	जियांगशी जिंटाओ टेक्नोलॉजी कं. लि. ⁸	5,000
8.	एलके (नानजिंग) कं. लि. ⁹	1,000
9.	कुल ज्ञात क्षमता	5,76,500
10.	भारतीय मांग	29,459
11.	भारतीय मांग की तुलना में चीन के उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमता	5,46,541

² <http://www.xmzeolite.com/EN/>

³ [BiggestZeoliteProducerChalcoZeolite - BuyA4Zeolite,Zeolite4a,ZeoliteProductonAlibaba.com](http://BiggestZeoliteProducerChalcoZeolite-BuyA4Zeolite,Zeolite4a,ZeoliteProductonAlibaba.com)

⁴ <https://www.echemi.com/shop-us20210422177858946/index.html>

⁵ <https://www.jalonzeolite.com/quality/>

⁶ <https://deterchem.com/product/zeolite-detergent-grade/>

⁷ <http://njyongcheng.com/index/index.html>

⁸ <http://en.xt988.com/page/html/company.php>

⁹ <https://rawchem2021.en.made-in-china.com/company-LK-NANJING-CO-LTD-.html>

- iii) चाल्को किंगदाओ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. लि. स्वयं ही अपनी कंपनी को “विश्व की सबसे बड़ी जिम्मेदार 4 ए उत्पादक” बताया है। चीन की सरकार के पास चाल्को ग्रुप ऑफ कंपनी में काफी हिस्सा है। चाल्को के अलावा, अन्य उत्पादक, जैसे हुइंग कैमिकल इंडस्ट्री (क्वांझाउ) कं. लि. और जालोन जिलोलाइट के पास समग्र भारतीय उद्योग को भारतीय बाजार से बाहर संचालित करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं। इसके अलावा, नाइक कैमिकल जैसे उत्पादकों को मॉलिक्यूलर सीव, एक्टिवेटेड एलुमिना, जिलोलाइट कैटेलिस्ट, टावर इंटरनल पार्ट, वेयर हाउस का 6000 वर्ग मी. तक विस्तार किया है।
- iv) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं के 200 से अधिक उत्पादकों के पास भारी उत्पादन क्षमताएं हैं। चीन दुनिया भर में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए संबद्ध वस्तुओं का प्रमुख निर्यातक है। चीन की क्षमताएं और निर्यात की क्षमताएं हैं। निर्माण डिटेजेंट में पर्यावरणीय अनुकूल विकल्पों की ओर रुख किए जाने के कारण भविष्य में बढ़ेगी।
- v) घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के प्रारंभिक वर्षों के दौरान थाइलैंड और यूएई को पाटन किए जाने तक चीन से पाटित आयातों से पाटा जा रहा था। तथापि, केवल 10,000 मी. टन पाटित आयात, जो शुल्क समाप्त होने पर भारत को वापिस भेजे जा रहे हैं। वे समग्र भारतीय उद्योग को नष्ट करने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं।
- vi) चीन भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है और वर्तमान में दोनों देशों के बीच आबादी की दृष्टि से केवल 0.04 बिलियन का अंतर है। इसके अलावा, पूरी दुनिया में डिटेजेंट की खपत पर विचार करते हुए, चीन की मांग भारत से 2-2.5 गुना अधिक है। यहां तक कि चीन में भारत की तुलना में अधिक खर्च करने की क्षमता है, लेकिन उनके पास उपलब्ध उत्पादन क्षमताएं उनकी आबादी की अपेक्षा से अधिक है। अतः चीन की मांग आदर्श रूप में भारतीय मांग से केवल 2.5 गुना अधिक हो सकती है, जिससे स्वतंत्र रूप से अप्रयोज्य उत्पादन क्षमताएं बहुत अधिक हो पाएंगी।

	अर्थव्यवस्था	विश्व में अर्थव्यवस्था की स्थिति (2022)	आबादी (बिलियन में)	2021 में क्रय शक्ति क्षमता (जीडीपी में पीपीपी)	आंकड़ों में पीपीपी जीडीपी (बिलियन डॉलर)
चीन	विकासशील	2	1.41	भारत की 261%	26,657
इंडिया	विकासशील	5	1.38		10,207

स्रोत: इंवेस्टोपीडिया, स्टैटिस्टिक्स टाइम्स

चीन की कुल ज्ञात क्षमता	भारतीय मांग	चीन की अनुमानित क्षमता (भारतीय मांग का 25 गुना)	अप्रयोज्य क्षमता
5,76,500 मी. टन	29,459 मी. टन	74,000 मी. टन (लगभग)	5,02,500 मी. टन

- vii) चीन में प्रमुख घरेलू उत्पादकों की महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति है और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं, देशों और क्षेत्रों को निर्यात बिक्री की जाती है। वे अपने उत्पादन और निर्यात में और अधिक वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि दुनिया भर के देश पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित उत्पादों के उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जिससे उन्हें डिटेजेंट के निर्माण के लिए फास्फेट के स्थान पर जियोलाइट का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है। जियोलाइट का वैश्विक बाजार वर्ष 2028 तक 44.24 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। वर्ष 2021 से 2028 तक 6.5% की सीएजीआर से विस्तार होने की संभावना है। जियोलाइट के लिए विश्वभर में अपना विस्तार करने के इस अवसर से चीन कभी भी पीछे नहीं हटेगा।
- viii) चीन के उत्पादन संबद्ध वस्तुओं को अन्य देशों में पाटित कर रहे हैं। चीन के उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत कीमतें एक स्थान पर इतनी कम थीं कि आवेदक ने स्वयं एक निर्यातक होने के नाते, विशेष रूप से जांच की अवधि के दौरान कई संभावित निर्यात अवसरों को खो दिया। जियोलाइट 4 ए से संबंधित प्रमुख विदेशी व्यापारियों के पास आवेदक के ईमेल पत्राचार से पता चलता है कि आवेदक द्वारा दी जा रही कीमतें चीन के निर्यातों के लिए प्रस्तुत कीमतों की तुलना में काफी अधिक थीं।
- ix) चीन से पाटित आयातों में गिरावट से यह पता चलता है कि चीन से उत्पादकों ने संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी रखने के लिए संभावित बाजारों में वस्तुएं भेजी हैं। आवेदक के पास उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और

फिलिपिंस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे अन्य देशों को चीन के निर्यातों पर विचार करते हुए यह माना जा सकता है कि यह पाटित किए गए आयातों की महत्वपूर्ण मात्रा है, जो कि सामान्य मूल्य और संबद्ध वस्तुओं के एनआईपी से कम कीमतों पर बेची गई थी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है। भारतीय मांग के संबंध में पाटित आयातों में इस मात्रा की प्रतिशतता 115% है।

देश	यूओएम	अन्य देशों को पाटित निर्यात*	अन्य देशों को कुल निर्यात*	पाटित निर्यातों की %	भारतीय मांग के संदर्भ में पाटित निर्यात	भारतीय मांग
चीन	मी. टन	33,890	33,890	100%	115%	29,459

- x) सामग्री महत्वपूर्ण मात्रा है, जो संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य से कमतर कीमत पर बेची गई थी। आवेदक ने बाजार आसूचना के आधार पर चीन से फिलिपिंस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तुओं के आयात के आधार पर संभावित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है। संबद्ध वस्तुओं में एक समर्पित कोड नहीं होता है और इस प्रकार अन्य देश के निर्यात व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए सीमा शुल्क डेटा के अनुसार अन्य देश के निर्यात डेटा पर विचार नहीं किया जा सकता है।

तीसरे देश के आधार पर पाटन मार्जिन

निर्मित सामान्य मूल्य	यूओएम	पाकिस्तान	बांग्लादेश	फिलिपिंस	इंडोनेशिया	वियतनाम	कुल
आयात मात्रा	मी. टन	4,781	2,065	24,461	555	2,028	33,890
सामान्य मूल्य	यूएस डॉलर/ मी. टन	***	***	***	***	***	***
निवल निर्यात कीमत	यूएस डॉलर/ मी. टन	***	***	***	***	***	***
पाटित मार्जिन	यूएस डॉलर/ मी. टन	***	***	***	***	***	***
पाटित मार्जिन	%	***	***	***	***	***	***
पाटित मार्जिन	रेंज	25-35	50-60	470-480	100-110	75-85	210-220

तीसरे देश के आधार पर क्षति मार्जिन

	यूओएम	पाकिस्तान	बांग्लादेश	फिलिपिंस	इंडोनेशिया	वियतनाम	कुल
निर्यात मूल्य	मी. टन	4,781	2,065	24,461	555	2,028	33,890
क्षति रहित कीमत	यूएस डॉलर/ मी. टन	***	***	***	***	***	***
पहुंच मूल्य	यूएस डॉलर/ मी. टन	678	588	201	450	511	314
क्षति मार्जिन	यूएस डॉलर/ मी. टन	***	***	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	%	***	***	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	रेंज	25-35	45-55	330-340	90-100	70-80	175-185

- xi) संबद्ध वस्तुओं की महत्वपूर्ण मात्रा है, जो चीन से पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलिपिंस, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों को पाटित की जा रही है। जियोलाइट के चीन के निर्यातों के संबंध में उपलब्ध सूचना सीमित है। हालांकि, निर्यात की मात्रा को उस क्षमता से बेहतर समझा जा सकता है, जिसे चीन द्वारा पूरा किया जाता है और चीन में उसकी अनुमानित मांग है। उपलब्ध सूचना के साथ ही, यह स्पष्ट है कि चीन से अन्य देशों को उन कीमतों पर वस्तुएं पाटित की जा रही हैं, जो भारत में प्रचलित कीमतों से कम हैं। इसके अलावा, यदि शुल्क समाप्त हो जाते हैं, तो संबंधित देश से निर्यात, जो भारत में प्रचलित मूल्यों से कम कीमतों पर बेचे जा रहे हैं, आसानी से भारत को भेजे जा सकते हैं, जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को और भी क्षति होगी।
- xii) भारतीय बाजार कीमतों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। चीन अपनी वस्तुएं एक वैश्विक बाजार में ऐसी कीमतों पर पाटित कर रहा है, जिसका मुकाबला भारतीय उद्योग नहीं कर सकता है। भारत में पाटित की गई मात्रा में कमी केवल वर्तमान शुल्कों और अन्य देश के आयातों के कारण थी। तथापि, कोई भी शुल्क लागू नहीं होने की स्थिति को देखते हुए, चीन के उत्पादक अपना पाटन पुनः शुरू करेंगे। घरेलू उद्योग पहले से ही थाइलैंड और संयुक्त अरब अमीरात से पाटित किए गए आयातों के कारण वास्तविक क्षति का सामना कर रहा है, जिसके लिए घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन दाखिल किया है। पाटनरोधी शुल्क के अभाव में बाजार में इस तरह के कम कीमत के आयात की उपलब्धता से निश्चय ही बाजार में उत्पाद की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

81. वर्तमान जांच चीन से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागे गए शुल्कों की एक निर्यातक समीक्षा है। नियमावली के तहत, प्राधिकारी को यह निर्धारित करने की जरूरत है कि क्या मौजूदा शुल्कों की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
82. प्राधिकारी के ध्यान में लाए गए सभी कारकों की यह निर्धारित करने के लिए जांच की गई है कि क्या शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सूचना पर विचार किया है ताकि पाटन या क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का मूल्यांकन किया जा सके।
83. इस प्रकार की संभावना का विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट प्रणाली उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध II के खंड (vii) के तहत अन्य के साथ-साथ ऐसे कारकों के लिए प्रावधान है। जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, जैसे:
- भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की एक महत्वपूर्ण दर पर्याप्त रूप से आयातों से वृद्धि की संभावना को दर्शा रही है।
 - निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त रूप से आसानी से निपटान योग्य, अथवा एक प्रमुख, पर्याप्त वृद्धि यह दर्शाती है कि किसी अतिरिक्त निर्यातों को समाहित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय मांग में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना है।
 - क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों पर एक महत्वपूर्ण हो सकती अथवा दबावकारी प्रभाव पड़ेगा और इससे आगे आयातों के लिए मांग में वृद्धि होने की संभावना है; और
 - जांच की जारी रही वस्तुओं की वस्तु सूचियां।
84. इसके अलावा, प्राधिकारी ने ऐसे अन्य संगत कारकों की भी जांच की है, जिनका कि पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना से संबंध है।

क. निरंतर पाटित और क्षतिकारी निर्यात

85. चीन से आयातों में शुल्क लगाए जाने के बाद से काफी गिरावट आई है। निर्यातक का उत्तर जांच की अवधि में आयातों को दर्शा रहा है। तथापि ये आयात पाटित और क्षतिकारी कीमत पर किए गए हैं, जो कि महत्वपूर्ण हैं और नीचे तालिका में दिए गए हैं:

क्र. सं.	भारत को निर्यात मात्रा	612 मी. टन
1	पाटित मार्जिन	***
	रेंज %	130-140

2	क्षति मार्जिन	***
	रेंज %	30-40

ख. संबद्ध देश में महत्वपूर्ण सरप्लस क्षमताएं

86. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों के उत्पादकों की वेबसाइट के तहत साक्ष्य के साथ विभिन्न उत्पादकों की क्षमता के संबंध में सूचना प्रदान की है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना इस प्रकार है :-

क्र. सं.	चीन में उत्पादक	क्षमता (मी. टन/ वार्षिक)
1.	हुइयिंग केमिकल इंडस्ट्री (कुआनझोऊ) कं. लि.	1,50,000
2.	चाल्को शानडोंग कं.	2,40,000
3.	सीनो मैटिरियल टेक्नोलॉजी कं. लि.	1,00,000
4.	जालोन जियोलाइट	55,000
5.	यांगझोऊ गुआनमीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.	15,000
6.	नानजिंग योंगचेंग मॉलिक्यूलर सीव कं. लि.	10,000
7.	जियांग्सी जिनाटो टेक्नोलॉजी कं. लि.	5,000
8.	एल के (नानजिंग) कं. लि.	1,000
9.	कुल ज्ञात क्षमता	5,76,000

87. चीन से एक उत्पादक ने वर्तमान जांच में सहयोग किया है और उनकी क्षमता के संबंध में सूचना प्रदान की है। प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रदान की गई सूचना यह दर्शाती है:

विवरण	यूनिट	जांच की अवधि
क्षमता	मी. टन	***
उत्पादन मात्रा- पीयूसी	मी. टन	***
उत्पादन मात्रा एनपीयूसी	मी. टन	***
क्षमता उपयोग	%	***
कुल बिक्रियां	मी. टन	***
अन्य देश की बिक्रियां	मी. टन	***
घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***
कुल बिक्रियों के % के रूप में निर्यातों का हिस्सा	%	***
कुल बिक्रियों के % के रूप में निर्यातों का हिस्सा (सूचीबद्ध)	%	40-50%

88. यद्यपि निर्यातक द्वारा घरेलू मांग के संबंध में सूचना प्रदान नहीं की गई है, अतः यह देखा गया है कि निर्यातक ने ईष्टम स्तर तक अपनी क्षमता का उपयोग किया है। निर्यात बिक्रियों में कुल बिक्रियों का %***शामिल है। इस प्रकार, निर्यातक अत्यधिक निर्यातोंन्मुखी है।
89. प्राधिकारी के समक्ष रिकार्ड पर रखी गई सूचना यह दर्शाती है कि चीन जन. गण. संबद्ध वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है और उसने महत्वपूर्ण क्षमताओं का निर्माण किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन.गण. के उत्पादक जिसने वर्तमान जांच में उत्तर दिया है कि मौजूदा क्षमता है। भारतीय मांग की करीब *** गुणा है। निर्यातक के अन्य देश के निर्यात भारतीय मांग का करीब *** गुणा है।

90. जहां तक इस दावे का संबंध है कि क्षमता उपयोग इन उत्पादकों के लिए काफी अधिक है, प्राधिकारी ने अन्य देश के पाटित और क्षतिकारी मात्रा के आयातों की जांच की है ताकि भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता के संबंध में आगामी पैरा में शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना की जांच की जा सके।

ग. अन्य देश के पाटन

91. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश से निर्यातों के संबंध में यह दर्शाने के लिए सूचना प्रदान की है कि संबद्ध देश में उत्पादक अन्य देश में संबद्ध वस्तुओं का भी पाटन कर रहे हैं। चूंकि चीन में सबसे बड़े उत्पादक, चाल्को शानडोंग एडवांस्ड मैटिरियल कं. ने वर्तमान जांच में उत्तर दिया है, अतः अन्य देश के पाटन के दावे के संबंध में उक्त प्रतिवादी उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सूचना पर विचार करते हुए जांच की गई है। यह देखा गया है कि अन्य देशों को प्रतिवादी निर्यातक द्वारा किए जा रहे निर्यातों की लगभग समग्र मात्रा पाटित कीमत है। नीचे दी गई तालिका में वास्तविक सूचना दर्शाई गई है।

विवरण	यूनिट	जांच की अवधि में चीन जन. गण.
सहयोगी उत्पादक/ निर्यातक से अन्य देश को कुल निर्यात	मी. टन	***
पाटित कीमत पर निर्यात	मी. टन	***
अन्य देश को निर्यात कीमत	यूएस डॉलर/मी. टन	***
कुल निर्यातों में पाटित मात्रा का हिस्सा	%	***
कुल निर्यातों में पाटित मात्रा का हिस्सा	% रेंज	90-100
भारतीय मांग के संबंध में पाटित मात्रा का हिस्सा	%	***
	% रेंज	200-300%

92. कुल निर्यात *** मी. टन है। अन्य देश के समग्र निर्यात पाटित कीमतों पर किए गए हैं। इस मात्रा में भारतीय मांग का करीब *** शामिल है।

घ. निर्यातों की क्षतिकारी मात्रा

93. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश से निर्यातों के संबंध में सूचना प्रदान की है, जो यह दर्शाती है कि संबद्ध देश में उत्पादक अन्य देशों को क्षतिकारी कीमत पर संबद्ध वस्तुओं की महत्वपूर्ण मात्रा का निर्यात कर रहे हैं। प्रतिवादी निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों की कीमत की, जांच की अवधि के लिए निर्धारित एनआईपी के साथ तुलना की गई है। नीचे दी गई तालिका वास्तविक सूचना को दर्शाती है:

विवरण	यूनिट	चीन जन. गण.
चीन से अन्य देश को कुल निर्यात	मी. टन	***
क्षतिकारी कीमत पर निर्यात	मी. टन	***
अन्य देश निर्यात कीमत	यूएस डॉलर /मी.टन	***
कुल निर्यातों में क्षतिकारी मात्रा का हिस्सा	%	***
कुल निर्यातों में क्षतिकारी मात्रा का हिस्सा	%रेंज	90-110
भारतीय मांग के संबंध में क्षतिकारी मात्रा का हिस्सा	%	***
रेंज	%	255-265

94. यह देखा गया है कि चाल्को शानडोंग द्वारा सूचित किए गए कुल निर्यात *** मी. टन हैं। अन्य देश के समग्र निर्यात क्षतिकारी कीमत पर हैं, जिनकी मात्रा में भारतीय मांग का करीब ***% शामिल है। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में, ये अन्य देश निर्यात भारत को भेजे जाने की संभावना है, जिससे घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद की विक्री क्षतिकारी कीमत पर करने को मजबूर होगा, ताकि अपना बाजार हिस्सा बनाए रखे और उन्हें अंततः हानि उठानी पड़ेगी।

ड. भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

95. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए संबद्ध देश से निर्यातों के संबंध में सूचना प्रदान की है कि संबद्ध देश में उत्पादक अन्य देशों को संबद्ध वस्तुओं की महत्वपूर्ण मात्रा उस स्तर से भी नीचे के कीमत स्तर पर निर्यात कर रहे हैं, जिस स्तर पर संबद्ध वस्तुएं भारत को निर्यात की जा रही हैं। प्राधिकारी ने प्रतिवादी निर्यातक द्वारा प्रदान की गई सूचना की जांच की है। प्रतिवादियों द्वारा किए गए निर्यातों की तुलना विधिवत समायोजनों के बाद प्रतिवादी उत्पादक द्वारा सूचित निर्यात कीमत के साथ चीन से भारत में आयात की गई संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्धारित पहुंच मूल्य के साथ की गई है। नीचे दी गई तालिका वास्तविक सूचना को दर्शाती है:

चाल्को शानडोंग एडवांस मैटिरियल कं. लि.

विवरण	यूनिट	चीन जन. गण.
चीन से अन्य देश को कुल निर्यात	मी. टन	***
निर्यातों की मात्रा, जो भारत की कीमत आकर्षक मात्रा से कम कीमत पर निर्यात की जा रही है।	मी. टन	***
भारत में कुल मांग	मी. टन	***
भारतीय मांग के संबंध में आकर्षक मात्रा का हिस्सा	%	***
	% रेंज	200-300%

96. प्रतिवादी निर्यातक द्वारा सूचित कुल निर्यात *** मी. टन है और अन्य देशों को किए गए निर्यातों की समग्र मात्रा ऐसे कीमत स्तर से कम कीमत पर हैं, जिस पर वस्तुएं भारत को निर्यात की जा रही हैं। इस मात्रा में कुल भारतीय मांग का करीब *** % शामिल है।
97. यह देखा गया है कि अन्य देशों को महत्वपूर्ण निर्यात पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर किए जा रहे हैं। इसके अलावा, अन्य देशों को निर्यातों का हिस्सा ऐसी कीमत से कम कीमत पर है, जिस पर वस्तुएं भारतीय बाजार में निर्यात की जा रही हैं, जो महत्वपूर्ण है। चाल्को शानडोंग द्वारा दाखिल किए गए उत्तर यह दर्शाते हैं कि चीन से अन्य देश को समग्र निर्यात पाटित और क्षतिकारी कीमत पर है।

झ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

98. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :

- प्राधिकारी ने क्षति का मूल्यांकन करने के लिए विचार किए जा रहे आयात आंकड़ों (सहयोगी उत्पादक के) की अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। यह सुनिर्धारित है कि प्राधिकारी अपने स्तर पर उसके समक्ष रखे गए आंकड़ों की गोपनीयता का दावा नहीं कर सकते। प्राधिकारी सूचीबद्ध रूप में सहयोगी उत्पादक के आयात आंकड़ों का प्रकटन करें और साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्या माने जा रहे आंकड़े वास्तव में अकेले डिटरजेंट ग्रेड के लिए हैं।
- संबद्ध देश से आयातों से याचिकाकर्ता को कोई मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है। यदि कोई तथाकथित क्षति है तो वह संबद्ध आयातों को छोड़कर अन्य कारणों से है।
- यदि वास्तव में संबद्ध देश से कोई कटौती घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का कारण बन रही है तो कटौती में किसी वृद्धि से लाभ में भारी गिरावट हुई है-तथापि, रिकॉर्ड में दायर किए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि कारणात्मकता में धोखा दर्शाने वाले तत्वों में संबंध है।

- iv. याचिकाकर्ता आयात के पहुंच मूल्य को ध्यान में न रखते हुए पूरी क्षति अवधि में अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में सक्षम रहा है।
- v. याचिकाकर्ता ने अपनी घरेलू बिक्री में वृद्धि की है और अपनी निर्यात वृद्धि बढ़ाई है। अतः यदि कोई क्षति है तो वह निर्यात की जाने वाली भारी मात्राओं के कारण है।
- vi. यह कि यदि घरेलू बाजार में याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से पर कोई तथाकथित प्रभाव है तो वह उसके निर्यात के प्रति उसकी बिक्री को बदलने के याचिकाकर्ता के व्यवहार के कारण है। अतः बाजार हिस्से में वृद्धि का संबद्ध सामानों के याचिकाकर्ता के निर्यातों में कई गुना वृद्धि के अनुरूप मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- vii. याचिकाकर्ता को कोई सतत क्षति संबद्ध आयातों के कारण नहीं हो सकती जहां संबद्ध आयातों और होने वाली दावा की गई क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क में काफी व्यवधान होना प्रतीत होता है।
- viii. बिक्री लागत के संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि प्रकटन विवरण में विचार किए गए आंकड़े रिकॉर्ड में पूर्व में रखे गए आंकड़ों से काफी भिन्न हैं। इस प्रकार इससे जांच की शुरुआत के स्तर पर रिकॉर्ड में रखे गए आंकड़ों की सत्यता पर संदेह होता है। पूर्वाग्रह के बिना प्राधिकारी इन महत्वपूर्ण अंतरों के कारण को स्पष्ट करें।
- ix. विचाराधीन उत्पाद के लिए वार्षिक मांग भारत में लगभग 30 के मी. टन है और घरेलू उद्योग क्षमता प्रतिबंधों के कारण अपनी बिक्री बढ़ाने की स्थिति में नहीं है।
- x. याचिकाकर्ता ने यह भी स्वीकार किया है कि उत्पाद गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अपने संयंत्रों में तकनीकी उन्नयन और विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन मात्रा में कमी के लिए कारणों के रूप में वर्ष 2021 (अन्य के साथ) में भारी वर्षा के कारण जिससे याचिकाकर्ता प्रयोक्ता को विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति करेंगे जिससे याचिकाकर्ता प्रयोक्ता को विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति करने में असमर्थ रहा है।
- xi. याचिकाकर्ता ने वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए अपने वित्तीय विवरणों में यह स्वीकार किया है कि वह कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय रूप से (यद्यपि नगण्य) प्रभावित हुआ है।
- xii. यहां तक कि यदि यह माना जाए कि क्षमता के संबंध में याचिकाकर्ता का दावा सही है, तो चीन जन.गण. में "बेकार" अथवा "स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य" क्षमताओं की मौजूदगी के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।
- xiii. एक उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े अन्य सभी उत्पादक के तथा तीसरे देश के पाटन/क्षति अथवा याचिकर्ता द्वारा सिद्ध न की गई कीमत आकर्षकता के कारण का आधार नहीं बन सकते।
- xiv. विचाराधीन उत्पाद कम घनत्व वाला उत्पाद है और भारी मात्रा में भी है जिससे यह पोत परिवहन कंटेनरों के माध्यम से परिवहन/आयातित किया जाता है। तदनुसार, समुद्री भाड़ा, स्रोत निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसके माध्यम से विचाराधीन उत्पाद आयातित किया जाना चाहिए। अतः प्रयोक्ता निकटतम स्थान अर्थात् चीन जन.गण. और थाइलैंड से विचाराधीन उत्पाद की खरीद करना बेहतर मानते हैं, निचले स्तर के उत्पादक आपूर्ति के अन्य स्रोतों को देखने के लिए मजबूर होंगे, यदि चीन पर शुल्क जारी रखा जाता है और थाइलैंड से आयातित किया जाता है।
- xv. व्यापार परिवेश उपभोक्ता कीमत मद्रास्फीति के कारण चुनौती दे रहा है। यह देखते हुए कि ये कीमतें उपयुक्त कारकों के कारण पहले ही बढ़ रही हैं, यथा-मुद्रास्फीति, यहां तक कि बहुत कम कीमत वृद्धि सामान्य व्यक्ति की पहले से ही खरीद शक्ति पर अतिरिक्त भारत डालेंगी।
- xvi. नगण्य निर्यात भारत को हुए गए हैं। चाल्को शेनडोंग एडवांस्ड द्वारा सूचित गई उत्पादन क्षमता पूरे जियोलाइट के लिए है जो विचाराधीन उत्पाद (डिटरजेंट ग्रेड) तक ही सीमित नहीं है। इस प्रकार उत्पादक/निर्यातक के पास कोई अतिरिक्त अथवा अधिशेष क्षमता नहीं है।
- xvii. प्राधिकारी को शेष श्रेणी की अपेक्षा प्रतिभागी निर्यातक को शुल्क की कम दर प्रदान की जानी चाहिए।
- xviii. पाटन और क्षति की कोई संभावना नहीं है जो भारतीय घरेलू उद्योग के दीर्घावधि और समग्र हितों के अनुरूप नहीं है।
- xix. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में एन आई पी बढ़ाई है वह कुछ काल्पनिक अवधारणों पर आधारित है। प्राधिकारी को मानी गई एन आई पी और निर्मित मूल्य पर पुनः विचार करना चाहिए।
- xx. घरेलू उद्योग मांग पूरी नहीं कर सकता क्योंकि मांग आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान 20 प्रतिशत तक बढ़ी है। परंतु संस्थापित क्षमता में कोई वृद्धि नहीं है।

- xxi. बाजार में प्रभावी होने वाले याचिकाकर्ता की अत्यधिक संभावना है और वह बाजार प्रवेश पर बाधाएं पैदा करता है।
- xxii. डीजीटीआर नियोजित क्षमता पर आय 22 प्रतिशत लागू करके घरेलू उद्योग अनुचित संरक्षण प्रदान कर रहा है जोकि 1987 में तैयार किया गया था। ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग और अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सेस्टेट में पाया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई 22 प्रतिशत आरओसीई की परिपाटी सही नहीं थी क्योंकि आय की इस उच्च दर को मानकर एनआईपी परिकलित करने से कम कीमत पर वृद्धि की बड़ी हुई तसवीर बनती है।

झ.2 घरेलू उद्योग के विचार

99. घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :

- i. शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग को मात्रात्मक मानदंडों के संबंध में सुधार करने से सहायता प्राप्त हुई है। इससे मांग-आपूर्ति अंतराल को पूरा करने के लिए देश में आगे निवेश भी प्रोत्साहित हुआ है। तथापि, अन्य देशों से पाटित आयातों की मौजूदगी से उत्पाद के लिए उपयुक्त और लाभप्रद कीमत प्राप्त करने से घरेलू उद्योग रूका है जिससे सतत कीमत क्षति हुई है।
- ii. विचाराधीन उत्पाद के लिए बनाए गए वर्गीकरण के लिए भारतीय आंकड़ों में सूचित की गई आयात मात्रा कम उल्लिखित की गई है जैसा कि ईक्यूआर द्वारा सिद्ध किया गया है। प्राधिकारी कृपया निर्यातकों द्वारा सूचित की गई निर्यात मात्राओं पर विचार करें।
- iii. घरेलू उद्योग को निरंतर वास्तविक क्षति हो रही है और इस प्रकार, सुभेद्य है।
- iv. चीन से शुल्कों के परिणामस्वरूप आयातों में गिरावट आई है। तथापि, ये आयात एन आई पी, बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम कीमतों पर किए जाते हैं।
- v. चीन में जांच क्षमता भारत में लगभग 30,000 मी.ट की मांग के विरुद्ध लगभग 5,76,500 मी.ट. है।
- vi. चीन के सबसे बड़े निर्यातक ने जांच में उत्तर दिया है और यह देखा जाता है कि भारत में निर्यात पाटित और क्षति कारक कीमतों पर किए जाते हैं।
- vii. निर्यातक द्वारा किए गए पूरे लगभग तीसरे देश के निर्यात भी पाटित और क्षतिकारक कीमत पर हैं। इन निर्यातों का महत्वपूर्ण हिस्सा उस कीमत से कम कीमत पर किया जा रहा है जिस पर भारत को निर्यात किए गए हैं। इस प्रकार, भारतीय बाजार चीनी निर्यातकों के लिए एक कीमत आकर्षक बाजार है।
- viii. चीन में अन्य उत्पादकों की प्रवृत्ति में भी उसी प्रवृत्ति को लिया है, विशेष रूप से जब उन्होंने असहयोगी होने का विकल्प लिया है।
- ix. शुल्कों की वर्तमान मात्रा वर्तमान मामले में बढ़ाई जानी चाहिए। निर्णायक समीक्षा का क्षेत्र केवल विद्यमान शुल्क का विस्तार है न कि शुल्क में संशोधन। आयात कीमत लागू पाटनरोधी शुल्क से प्रभावित है। अतः यद्यपि, पाटनरोधी शुल्क लागू है, तथापि, कोई निश्चयात्मक प्रभाव इस तथ्य के कारण कि पाटनरोधी शुल्क लागू है, इन स्थितियों में पाटन मार्जिन अथवा क्षति मार्जिन में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- x. डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 11.3 के अनुरूप नियम 23 के साथ पठित धारा 9क(5) केन्द्र सरकार को समीक्षा जांच करने के लिए सक्षम बनाती है। अतः निर्णायक समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहेगी अथवा बार-बार होगी। पाटनरोधी शुल्क की मात्रा पर निर्णायक समीक्षा का जोर नहीं है।
- xi. इस तथ्य कि प्राधिकारी ने विगत में किसी अन्य जांच में शुल्क की मात्रा संशोधित की, का अर्थ यह नहीं है कि प्राधिकारी वर्तमान मामले में शुल्क की मात्रा संशोधित करें। चीन जन.गण. और यू ए ई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ओपल ग्लासवेयर" के आयातों के संबंध में हाल ही में की गई निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने पहली निर्णायक समीक्षा के बाद लगाए गए उन्हीं शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश की थी।
- xii. आयात शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप नकार दिए गए हैं। इस प्रकार, यह वही शुल्क हैं जो प्रभावी थे और निर्यातकों की मात्रा कम की गई थी। घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हो रही है। तथापि, यह क्षति अन्य स्रोतों से आयातों के कारण है। अतः शुल्कों की मात्रा में संशोधन से घरेलू उद्योग को गहन पाटन और क्षति बार-बार होगी।

- xiii. विस्तार शुल्क बढ़ाए जाने का अनुरोध क्षति की संभावना के आधार पर है। यदि विद्यमान शुल्क समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो पाटन और क्षति की संभावना के स्पष्ट साक्ष्य हैं। आयातों की मात्रा काफी कम है। वस्तुतः निर्यातकों द्वारा सूचित निर्यात विचाराधीन उत्पाद के लिए बनाए गए वर्गीकरण के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों में भी नहीं दर्शाए गए थे।
- xiv. भारत में समान उत्पाद के अंतिम प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं पर शुल्कों का प्रभाव न्यूनतम है। संबद्ध सामान का प्रयोग एरियल, सर्फ एक्सल, टाइड आदि जैसे प्रमुख डिटरजेंट ब्रांडों द्वारा ही किया जाता है। कई कम लागत वाले पावडरों (जो व्यापक स्तर पर जनता द्वारा उपभोग के उत्पाद हैं) सिंथेटिक जियोलाइट द्वारा प्रयुक्त नहीं किए जाते।
- xv. जियोलाइट का हिस्सा कुल आर एम लागत का केवल 2 – 3% है। और डिटरजेंट के विनिर्माताओं की समग्र लागत पर जियोलाइट का परिणामी प्रभाव 1.8 प्रतिशत से कम है जोकि बहुत ही कम है।
- xvi. जियोलाइट का प्रयोग उन प्रीमियम ब्रांडों के द्वारा किया जाता है जिनका डिटरजेंट सामान्य रूप से मशीन की धुलाई के लिए जाता है। प्रमुख डिटरजेंट उद्योग अच्छा कार्य कर रही हैं जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2022 से देखा जा सकता है जो स्पष्ट रूप से उनके डिटरजेंट ब्रांड की पिछले 5 वर्षों की वृद्धि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है। वस्तुतः एच यू एल अपने डिटरजेंट ब्रांडों के माध्यम से भारी लाभ प्राप्त करने में भी सक्षम था और इस समय वे सुमेरपुर उत्तर प्रदेश में नई डिटरजेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं।
- xvii. आवेदक के सहयोगी ने 25000MT की क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में इसका उत्पादन शुरू हो चुका है। विषय वस्तु की वर्तमान मांग 30,000 मीट्रिक टन से कम है और यह अतिरिक्त क्षमता देश में वर्तमान और भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक होगी।
- xviii. विचाराधीन उत्पाद की खपत जनता द्वारा व्यापक रूप से नहीं की जाती है। समाज के ऊपरी वर्ग द्वारा इसकी खपत की जाती है। यहां तक कि यदि यह नगण्य प्रभाव माना जाता है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था में केवल छोटे वर्ग को प्रभावित करता है जिनकी बहुत अधिक खर्च करने की क्षमता होती है। यहां तक कि यदि अंतिम उत्पाद की कीमत 0.14-0.28 प्रतिशत तक बढ़ेगी तो यह कुल मिलाकर समाज के इस वर्ग के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगी।
- xix. कुछ डिटरजेंट विनिर्माता समाज के विभिन्न वर्गों की पूर्ति के लिए डिटरजेंट के बहुविध ब्रांडों का उत्पादन करते हैं जिनमें जियोलाइट डिटरजेंट के प्रीमियम ब्रांड में ही जोड़ा जाता है। प्रोक्टर एंड गेंबल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और निरमा लिमिटेड, जो जियोलाइट की खपत करते हैं, देश में कुल डिटरजेंट उत्पादन के लगभग 30 प्रतिशत हैं।
- xx. कई प्रमुख डिटरजेंट विनिर्माता हैं जो जियोलाइट की खपत नहीं कर रहे हैं, उनका सामूहिक उत्पादन देश में सकल डिटरजेंट उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत होना चाहिए।
- xxi. इसके अतिरिक्त विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग केवल डिटरजेंट श्रेणी में किया जाता है न कि डिटरजेंट बार और लिक्विड डिटरजेंट में क्योंकि जियोलाइट के गुणधर्म इन उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः यदि कोई प्रभाव है तो वह समाज के सीमित समूहों पर ही होगा।
- xxii. भारतीय उद्योग एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित हैं। इसके विपरीत उपभोक्ता मेगा कंपनियां हैं। एमएसएमई का निष्पादन मेक्रोलेवल आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। शुल्क बंद किए जाने से एमएसएमई उत्पादन की दीर्घावधि अर्थक्षमता पाटित कीमतों पर उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्हें मजबूर कर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।

3.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

100. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और यह नोट करते हैं कि अधिकतर टिप्पणियां पुनरावृत्ति की हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच कर दी गई है और प्रकटन विवरण के संगत पैराओं में उनका पर्याप्त रूप से हल कर दिया गया है। नए अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है :

- जहां तक एक इच्छुक पक्ष (उपयोगकर्ता उद्योग) इस तर्क का संबंध है कि उत्तरदाता उत्पादक की आयात मात्रा प्रकट की जानी चाहिए, यह नोट किया जाता है कि व्यक्तिगत निर्यातक द्वारा निर्यातों की वास्तविक

मात्रा व्यापार संवेदी सूचना है। ऐसे उत्पादक द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। प्राधिकारी ने इन आयातों की प्रवृत्ति प्रकट की है।

- ii. जहां तक इस तर्क का संबंध है, क्षति संबद्ध देश से आयातों के कारण नहीं है और चीन जन गण से आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कोई कारणात्मक संपर्क नहीं है, यह नोट किया जाता है कि चीन से आयातों में शुल्क लगाए जाने के बाद काफी गिरावट आई है। पाटनरोधी शुल्कों से आयातों का क्षतिकारक प्रभाव पर रोक लगी है। तथापि आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, बिक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत के स्तर से कम कीमत पर किए जा रहे हैं। इस प्रकार चीन से वास्तविक आयात खुद ही चीन से आयातों के संभावित क्षतिकारक प्रभाव दर्शाते हैं। अत्यधिक निर्यातोन्मुखता के तथ्य के साथ मिलाकर यह तीसरे देश के पाटन और क्षति शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना दर्शाती है।
- iii. जहां तक कीमत में कटौती के संबंध में तर्क का संबंध है, यह ध्यान दिया गया है कि एंटी-डंपिंग शुल्क जोड़े बिना कीमत में कटौती बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में संबद्ध वस्तुओं के डंप किए गए आयात की बहुत कम मात्रा के संबंध में, यह नोट किया गया है कि एंटी-डंपिंग शुल्क लागू होने के कारण मात्रा कम हो गई है, और यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध देश में निर्यातक निर्यात करने में सक्षम नहीं हैं। अविवादित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में संबद्ध वस्तुएँ। यह इस तथ्य को पुष्ट करता है कि घरेलू उद्योग में संबद्ध देश से एंटी-डंपिंग शुल्क समाप्त होने की स्थिति में संबद्ध देश से डंप किए गए और हानिकारक आयात की पुनरावृत्ति देखने की संभावना है।
- iv. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि बिक्री लागत संबंधी सूचना में परिवर्तन हुआ है, यह नोट किया जाता है कि हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना सत्यापन के अध्वधीन है, और विधिवत सत्यापित सूचना पर इस जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- v. जहां तक इस दावे का संबंध है कि मांग आपूर्ति अंतराल और अन्य बाधाएं, जैसे वर्षा, कोविड-19, से सामान की आपूर्ति में आपूर्तिकर्ता प्रभावित हुए हैं, रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने जांच की पूरी अवधि के दौरान मालसूची बनाए रखी है। कोविड-19 का प्रभाव वार्षिक रिपोर्ट में नगण्य दर्शाया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग उसकी ईष्टतम मात्रा तक उपयोग में नहीं लाया गया है। किसी भी दशा में मांग-आपूर्ति अंतराल संबद्ध सामानों के पाटन का औचित्य नहीं बनाते।
- vi. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकरण ने चीनी उत्पादक के पास उपलब्ध अधिशेष या स्वतंत्र रूप से डिस्पोजेबल क्षमता का मूल्यांकन करने की आवश्यकता को नजरअंदाज कर दिया है क्योंकि उसने अपनी अधिकांश क्षमता का उपयोग कर लिया है, यह नोट किया गया है कि प्राधिकरण ने रिकॉर्ड पर प्राप्त जानकारी के अनुसार डिस्पोजेबल क्षमता की जांच की है। आगे यह नोट किया गया है कि तीसरे देश से डंप किए गए निर्यात की मात्रा, तीसरे देश से हानिकारक निर्यात और निर्यातक द्वारा उस स्तर से कम कीमत पर किए गए निर्यात की मात्रा जिस पर इसे भारत को निर्यात किया गया है, एंटी-डंपिंग शुल्क की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग और चोट की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभावना के मजबूत सबूत हैं।
- vii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि एक उत्पादक द्वारा दिए गए आंकड़े चीन से सभी अन्य उत्पादकों को ऐसे उत्पादक के तथाकथित तीसरे देश के पाटन/क्षति का जिम्मेदार होने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता, यह नोट किया जाता है कि उत्पादक-निर्यातक भारत से समस्त सामानों का सबसे बड़ा निर्यातक है और उसकी क्षमता कुल ज्ञात क्षमा के लगभग आधा है तथा इस प्रकार इस उत्पादक का निष्पादन अन्य निर्यातकों के संभावित व्यवहार का सूचक है। इसके अतिरिक्त एक अवसर दिए जाने के बावजूद चीन से अन्य किसी भी अन्य उत्पादक ने उत्तर नहीं दिया है और संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। उत्तरदाता निर्यातक ने भी ज्ञात क्षमता और चीन में विद्यमान मांग के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। निर्यातकों से संगत सूचना के अभाव को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर विचार किया है।
- viii. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना, अनुबंध-3 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है।

ज. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मामले**ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

101. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने जनहित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. विचाराधीन उत्पाद के डाउनस्ट्रीम उत्पादों के उत्पादक चीन जन. गण. और थाईलैंड के अलावा अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि घरेलू उत्पादकों का पूरा क्षमता उपयोग विचाराधीन उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही आवेदक ने क्षमता सीमित होने का उल्लेख करते हुए कई गुना आबंटन वृद्धि करने के लिए उपभोक्ता के अनुरोधों को अस्वीकार किया था।
- ii. शुल्कों के जारी रहने से विचाराधीन उत्पाद के डाउनस्ट्रीम उपभोक्ता उद्योग के हितों को नुकसान होगा। घरेलू उद्योग की क्षमता देश की समग्र मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसीलिए आयात अनिवार्य है। कोई भी पाटनरोधी शुल्क लगाने से विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति की कमी होगी।
- iii. विचाराधीन उत्पाद की कम सघनता और अधिक मात्रा होने पर विचार करते हुए, समुद्री मालभाड़ा विचाराधीन उत्पाद के आयात स्रोत के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रयोक्ता विचाराधीन उत्पाद का आयात सबसे नजदीकी स्थानों अर्थात् चीन और थाईलैंड से चाहता है। यदि पाटनरोधी शुल्कों को चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद पर लगाना जारी रखा जाता है। और/ अथवा थाईलैंड से (समानांतर पाटनरोधी जांच में) विचाराधीन उत्पाद पर लगाया जाता है, तो प्रयोक्ता को ऐसे घरेलू आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिनके पास घरेलू उद्योग की मांग पूरी करने के लिए कोई क्षमता नहीं है।
- iv. एफएमसीजी उत्पादों की बिक्रियों में विशेषकर 2-5% के बीच कीमत वृद्धि होने के कारण ग्रामीण बाजारों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है, जो कि प्रयोक्ता की वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में यथा उल्लिखित मुद्रास्फीति के कारण हो सकती है। विचाराधीन उत्पाद एक ऐसा उत्पाद है, जिसे जनता द्वारा डिटरजेंट के माध्यम से नियमित रूप से उपयोग किया जाता है और विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने से लक्षित उत्पाद की लागत में वृद्धि होगी। लागत में यह वृद्धि और उसके बाद मुद्रास्फीति के कारण वृद्धि से आम आदमी की क्रय शक्तियों पर पहले से पड़े भार पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।
- v. डिटरजेंट को एसएलईएस/ पीएस (अर्थात् सेचुरेटेड फेटी अल्कोहल का डाउनस्ट्री उत्पाद) में भी उपयोग किया जाता है, जो कि वर्तमान में पाटनरोधी शुल्कों के अध्येधीन है और पाटनरोधी शुल्कों की एक निर्णायक समीक्षा जांच और सीवीडी जांच वर्तमान में चल रही है। यदि सेचुरेटेड फेटी अल्कोहल पर 30% पाटनरोधी शुल्कों और सीवीडी शुल्कों के साथ साथ विचाराधीन उत्पाद पर उपरोक्त शुल्क लगाए जाते हैं, तो जनता को डिटरजेंट की खपत के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ेगा।
- vi. पीयूसी, जनता को डिटरजेंट का उपभोग करने के लिए संचयी रूप से अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।
- vii. मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के कारण भारतीय उत्पादकों को विदेशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात की अधिक लागत वहन करनी पड़ी, जिससे भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ा।

ज.2 घरेलू उद्योग के विचार

102. घरेलू उद्योग के जनहित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i) आवेदक की एक सहयोगी संस्था अपनी क्षमताओं में वृद्धि करके नए संयंत्र की स्थापना की प्रक्रिया में है, जिससे मौजूदा निवेश में वृद्धि होगी और भारतीय उद्योग आत्मनिर्भर होगा।
- ii) एचयूएल हमेशा ही आवेदक के साथ एक कीमत वार्ताकार के रूप में रहा है, जिसकी अन्य देशों के लिए कभी भी दीर्घावधिक अनुबंधों में कभी भी इच्छा नहीं रही। इसे वाबजूद आवेदक ने एचयूएल की हमेशा सहायता की है। यह बिना तैयारी का आबंटन था, जिसके कारण एचयूएल का अनुरोध पूरी तरह से अस्वीकार हो गया।

- iii) आवेदक ने नियमिति क्रेताओं के लिए पर्याप्त वस्तुसूचियां रखीं हैं और इसी तरह एचयूएल के साथ भी करने की इच्छा है, अब वे दीर्घावधिक प्रतिबद्धताओं के लिए तैयार हैं।
- iv) आवेदक ने यह प्रदर्शित किया है कि जियोलाइट का डाउनस्ट्रीम लागतों पर प्रभाव न्यूनतम है और यह कि लक्षित ग्राहक पर इसके परिणामस्वरूप प्रभाव नगण्य है। प्रयोक्ता अपने डिटरजेंट निर्माण कार्य के संदर्भ में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और वह सफलतापूर्वक लाभ को बनाए रखे हुए है और वृद्धि कर रहा है। प्रयोक्ता की वार्षिक रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि कैसे इसके डिटरजेंट ब्रांड ने विगत पांच वर्षों के दौरान विकास किया है और नई निर्माण सुविधाओं की स्थापना की प्रक्रिया में हैं। लक्षित प्रयोक्ता पर इसके परिणामस्वरूप प्रभाव भी नगण्य है। जियोलाइट को प्रीमियम डिटरजेंट में प्रयोग किया जाता है और इन डिटरजेंट के प्रयोक्ता खंड पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

103. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रयोजन, सामान्य तौर पर पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना है। जिससे कि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति की पुनर्स्थापना हो सके। पाटनरोधी उपायों को जारी रखने का उद्देश्य किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयातों को सीमित करना नहीं है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा, पाटनरोधी उपायों को लागू करने से कम नहीं होगी। दूसरी ओर, पाटनरोधी उपायों को जारी रखने से यह सुनिश्चित होगा कि पाटन प्रक्रियाओं से कोई भी अनुचित लाभ न हो, घरेलू उद्योग की गिरावट को रोका जा सके और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक चयन की उपलब्धता बनी रहे।
104. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया कि क्या पाटनरोधी उपायों के जारी रहने से लोकहित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे प्रभाव का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता पर शुल्कों के जारी रहने के प्रभाव, उत्पाद के प्रयोक्ताओं के साथ-साथ घरेलू उद्योग पर प्रभाव तथा आम जन पर इसके व्यापक प्रभाव का आकलन किया है।
105. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की ताकि वे वर्तमान जांच के बारे में और उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी प्रभाव के संभावित प्रभावों के बारे में संगत सूचना प्रदान कर सके। प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्रित अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की ताकि वे वर्तमान जांच के संबंध में और अपने प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में संगत सूचना प्रदान कर सकें। प्राधिकारी ने अन्य के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों की अंतर परिवर्तनीयता, स्रोतों को बदलने के लिए घरेलू उद्योग की योग्यता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, ऐसे कारकों, जिनसे पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण उत्पन्न नई स्थिति के साथ समायोजन में तेजी या विलंब की संभावना हो, वर्तमान शुल्क को निरस्त करने या बनाए रखने के प्रभाव के संबंध में सूचना की मांग की।
106. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा शुल्क के प्रभाव के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इसलिए उपभोक्ताओं पर शुल्कों के प्रभाव पर विचार करने से पूर्व, प्राधिकारी को पहले ऐसे शुल्कों के प्रभाव पर विचार करना चाहिए, जो पहले लगाए गए थे। ऐसी स्थिति में, जहां पाटनरोधी शुल्क पिछले चार से अधिक सालों से लागू थे, उत्पाद की कीमतों में वृद्धि (कच्ची सामग्रियों की कीमत में बदलाव को समायोजित करने के बाद) और इसके प्रभाव उपभोक्ताओं पर शुल्क के प्रभाव की संभावना के सबसे अच्छे सूचक हैं। इस प्रभाव का, शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू और आयातित उत्पाद की कीमत में वृद्धि पर विचार करते हुए निर्धारण किए जाने की जरूरत है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क की सीमा तक उत्पाद की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि शुल्क लगाने से उपयोगकर्ताओं/उपभोक्ताओं पर

प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। संबद्ध वस्तुओं की कीमतें पहले लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क की मात्रा से नहीं बढ़ी हैं। इसके अलावा, उपयोगकर्ता उद्योग ने स्वयं 1-2% की सीमा में एंटी-डंपिंग शुल्क का प्रभाव दिखाया है।

107. प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक के भारतीय बाजार में प्रवेश करने से पहले भारत में मांग-आपूर्ति में भारी अंतर मौजूद था। ऐसा देखा गया है कि आवेदक ने अन्य बातों के साथ-साथ इस अंतर को पाटने के लिए गुजरात सरकार के साथ मिलकर यह संयंत्र स्थापित किया है। शुल्क लगाए जाने के बाद, भारतीय उद्योग अपना उत्पादन और क्षमता उपयोग बढ़ाने में सक्षम हुआ। कर्तव्यों ने घरेलू उत्पादक को बाजार में ***% हिस्सेदारी बनाए रखने में सहायता की जो मूल जांच की जांच अवधि में केवल 7% थी। शुल्क लगाने से उद्योग को मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए नए निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया है। आवेदक घरेलू उद्योग की सहयोगी कंपनी ने एक क्षमता स्थापित कर ली है और इस वित्तीय वर्ष यानी 2023-2024 में उत्पादन शुरू कर दिया है। भारतीय क्षमताएं देश में मौजूदा और भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगी। इसके अलावा, देश में मांग और आपूर्ति का अंतर डंपिंग को उचित नहीं ठहराता। इसके अलावा, एंटीडंपिंग शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है, यह केवल सभी पक्षों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सीमा तक लगाया जाता है।
108. जैसा कि प्राधिकारी ने एमएसएमई कंपनियों के संबंध में, अन्य जांचों में नोट किया है कि इस श्रेणी में उत्पादक बाजार की स्थितियों में परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील हैं। बड़ी कंपनियों को संचालित करने वाले सिद्धांत एमएसएमई कंपनियों के मामले में लागू नहीं होते। इन कंपनियों को किफायतता, अथवा बड़ी उत्पाद प्रोफाइल, बड़े बाजार आधार घरेलू और निर्यात दोनों के लिए, और बेहतर कारोबारी/प्रबंधन कौशल का लाभ नहीं होता, जो अन्यथा बड़ी कंपनियों में पाए जाते हैं, जिनसे बाजार में जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है। संबद्ध वस्तुएं एक कमोडिटी उत्पाद है, जिसमें कीमत, उपभोक्ताओं के लिए निर्णायक कारक होता है। किसी भी एमएसएमई उत्पादक के लिए अपनी कीमतों को आयात कीमतों के अनुसार रखना असंभव है। अतः कच्ची सामग्रियों की कीमतों में पंजीकृत प्रवृत्तियों के बावजूद, यदि आयात भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं, तो कोई एमएसएमई उत्पादक बने रहने के लिए अपनी कीमतों को आयात कीमतों के अनुकूल करने का प्रयास करेगा। इसके परिणामस्वरूप उत्पादक के आयातों द्वारा पंजीकृत प्रवृत्तियों के आधार पर कम लाभ या हानियों का सामना करता है। इसके अतिरिक्त, किसी अन्य एमएसएमई उद्योग की तरह, यह उद्योग विखंडित नहीं है और इसमें संबद्ध वस्तुओं के केवल 2 उत्पादक शामिल हैं। यदि शुल्क समाप्त होते हैं, तो इस बात की संभावना है कि ये उत्पादक बरकरार नहीं रहेंगे और भारतीय उद्योग पूरी तरह नष्ट हो जाएगा।
109. प्राधिकारी नोट करते हैं कि, मूल जांच के विश्लेषण से पता चलता है कि अन्य देशों से आयात काफी कम था। हालाँकि, वर्तमान शुल्क लगाए जाने के बाद, इन देशों ने कथित तौर पर डंपिंग का सहारा लिया और अपने निर्यात में वृद्धि की। तदनुसार, प्राधिकरण इन आयातों की समानांतर जांच कर रहा है।
110. प्राधिकरण ने पाया है कि चीन में ज्ञात उत्पादकों के पास स्थापित क्षमता 5,76,500 मीट्रिक टन के आसपास है। इस प्रकार, प्रतिसाद देने वाले चीनी उत्पादक द्वारा डंप किए गए, हानिकारक और मूल्य आकर्षक बिक्री की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान शुल्क समाप्त हो जाता है तो डंप किए गए और/या हानिकारक आयातों पर आयात की मात्रा जो भारतीय बाजार में प्रवेश करने की संभावना है, काफी अधिक होगी। संपूर्ण भारतीय मांग। जबकि मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क ने चीनी उत्पादकों को वर्तमान मात्रा से अधिक मात्रा में वृद्धि करने से रोका है, एंटी-डंपिंग शुल्क से बाहर निकलने से इन मात्राओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। एंटी-डंपिंग शुल्क समाप्त होने की स्थिति में भारतीय उद्योग स्पष्ट रूप से क्षति की चपेट में है।
111. चूंकि, वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है, इसलिए कर्तव्यों के वास्तविक प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। तदनुसार, यह देखा गया है कि अतीत में लगाए गए कर्तव्यों के परिणामस्वरूप मूल्य वृद्धि नहीं हुई, और इसके परिणामस्वरूप डाउनस्ट्रीम उद्योग (जैसा कि एचयूएल के डिटर्जेंट पोर्टफोलियो की वृद्धि से देखा जाता है) या बड़े पैमाने पर जनता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।
112. संबद्ध वस्तु डिटर्जेंट में निर्माता है और इसका उपयोग केवल टॉप-एंड डिटर्जेंट ब्रांडों द्वारा किया जाता है। आवेदक द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि सस्ते डिटर्जेंट ब्रांड कच्चे माल के रूप में संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करने से बचते हैं, और जो निर्माता कई ब्रांड का उत्पादन कर रहे हैं वे केवल अपने प्रीमियम ब्रांडों के लिए डिटर्जेंट में जिओलाइट

का उपयोग करते हैं। इसलिए, यह ध्यान दिया गया है कि डिटर्जेंट उत्पादन में खपत होने वाले जिओलाइट का उपयोग बड़े पैमाने पर जनता द्वारा नहीं किया जाता है, और यह कुछ आय समूहों तक ही सीमित है।

ट. निष्कर्ष

113. दिए गए तर्कों किए गए अनुरोधों, प्रदान की गई सूचना और प्राधिकारी के समक्ष उपरोक्त रिकार्ड किए गए तथ्यों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और पाटन के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि:
 - i. एक समीक्षा जांच होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद का दायरा नहीं बढ़ाया गया है और वही रखा गया है, जो मूल जांच में था। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद को “सिंथेटिक ग्रेड जिओलाइट 4ए” के रूप में परिभाषित किया जा रहा है।
 - ii. एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने से संबद्ध देश से आयात में गिरावट आई है। हालाँकि, चीन से आयात अभी भी डंप और हानिकारक कीमत पर किया जा रहा है।
 - iii. घरेलू उद्योग को लगातार नुकसान हो रहा है जैसा कि मुनाफे, नकद लाभ और आरओआई में गिरावट से देखा जा सकता है। वास्तव में, घरेलू उद्योग को जांच अवधि में घाटा हो रहा है और इस प्रकार यह कमजोर स्थिति को दर्शाता है। हानिकारक कीमत पर डंप किए गए आयात जारी रहने के कारण घरेलू उद्योग के परिचालन प्रदर्शन में काफी गिरावट आई है, और, थाईलैंड और ईरान से संबद्ध वस्तुओं के कथित डंप आयात में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण भी, जिसके लिए प्राधिकरण समानांतर एंटी-डंपिंग जांच कर रहा है।
 - iv. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना, यदि इस अवस्था में लागू पाटनरोधी समाप्त किए जाते हैं, तो पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति होने की संभावना को दर्शाती है। संभावना का विश्लेषण यह दर्शाता है कि संबद्ध देश से भारत के अलावा तीसरे देशों को संबद्ध वस्तुओं के महत्वपूर्ण निर्यात पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर हैं और भारत को निर्यात करने के लिए कीमतें काफी आकर्षक हैं, क्योंकि तीसरे देशों को कीमतें भारत की कीमत से कम हैं। ये कारक संचयी रूप से संबद्ध देश से भारत को निर्यात भेजे जाने की मजबूत संभावना को दर्शाते हैं, यदि मौजूदा पाटनरोधी उपायों को समाप्त कर दिया जाता है।
114. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग द्वारा काफी नया निवेश किया गया है।
115. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना से, यह भी देखा गया है कि उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव काफी कम है। अतः इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि वर्तमान उपाय के जारी रहने से देश में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है।
116. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने यह पाया है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में, पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। और इसलिए आगे पांच वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की सिफारिश की जाती है।

ठ. सिफारिश

117. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों के अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध तथा साक्ष्य की घरेलू उद्योग के पाटन के पाटन और क्षति की संभावना के पहलुओं पर सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था।
118. यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त होने दिया जाता है, तो पाटन और क्षति के सकारात्मक साक्ष्य हैं, अतः प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को आगे जारी रखे जाने की जरूरत है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जैसा कि यहां ऊपर स्थापित हुआ है, निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर

पाटनरोधी शुल्कों का विस्तार करने की सिफारिश करना उपयुक्त मानते हैं। तदनुसार, चीन से उत्पादकों के लिए नीचे दी गई तालिका के अनुसार पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाती है।

119. इस प्रकार, पाटनरोधी नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17(1)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकारी मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को लगाना जारी रखने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की संभावना को दूर किया जा सके। तदनुसार, संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों के लिए नीचे दी गई तालिका के कॉलम 6 में उल्लिखित राशि के समान निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्कों को लगाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	उप-शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1	38249922 38249090 38249990 28429090 28269000 28399090 28421000	सिंथेटिक ग्रेड जियोलाइट 4ए (डिटरजेंट ग्रेड)	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	चाल्को शानडांग एडवांस मैटेरियल कंपनी लिमिटेड (सीएसएएमसीएल)	163.90	मी. टन	यूएस डॉलर
2	-वही-	सिंथेटिक ग्रेड जियोलाइट 4ए (डिटरजेंट ग्रेड)	चीन जन. गण.	कोई भी	चीन जन. गण. से सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक	207.72	मी. टन	यूएस डॉलर
3	-वही-	सिंथेटिक ग्रेड जियोलाइट 4ए (डिटरजेंट ग्रेड)	चीन जन. गण.	कोई भी	चीन जन. गण. से सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक	207.72	मी. टन	यूएस डॉलर

*** नोट – सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

120. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9क के तहत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल हैं।

ड. आगे की प्रक्रिया

121. इस अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण/समीक्षा के खिलाफ कोई भी अपील, अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2023

[Case No. AD (SSR)-06/2022]

SUBJECT : SUNSET REVIEW INVESTIGATION CONCERNING IMPORTS OF "SYNTHETIC GRADE ZEOLITE 4A(DETERGENT GRADE)" ORIGINATING IN OR EXPORTED FROM CHINA PR

File No. 7/14/2022-DGTR.—1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as “the Rules” or “the AD Rules”) thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE**Original Investigation**

2. The original investigation concerning imports of the subject goods from China was initiated by the Authority vide Notification No. 6/14/2017-DGAD, dated 02.01.2018. Definitive anti-dumping duties were recommended vide Notification No. 06/14/2017-DGAD, dated 29.10.2018 and was imposed vide Customs Notification No. 57/2018-Customs (ADD), dated 13.12.2018.

PRESENT SUNSET REVIEW INVESTIGATION

3. M/s Gujarat Credo Mineral Industries Limited (GCMIL) (hereinafter referred to as the “applicant”) filed a duty substantiated application before the Authority, on behalf of the domestic industry, in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of the Rules. After *prima facie* examination of the facts, the Authority initiated a Sunset Review (SSR) investigation vide Notification No. 7/14/2022-DGTR dated 29th Sept 2022 to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from China PR.

B. PROCEDURE

4. The procedure described below has been followed with regards to the investigation.
- The Authority, vide Notification No. F. No. 7/14/2022-DGTR dated 29th September 2022 published a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating a sunset review investigation concerning the imports of the subject goods from the subject country.
 - The Authority forwarded a copy of the public notice along with the questionnaires to the Embassy of the subject country in India, all known exporters, importers and users (whose details were made available by the applicant) and gave them the opportunity to make their views known in writing in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules. They were advised to reply within thirty days from the date of publication of the notification or from the date of letters.
 - The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters and the Embassy of the subject country in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the application was also provided to the other interested parties, as requested.
 - The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

S.N.	Name of the producer/exporter	S.N.	Name of the producer/exporter
1	Chalco Qingdao International Trading Co. Ltd.	2	Chalco Zibo International Trading Co.
3	Tianjin Gerkwin International Trading Co. Ltd.	4	Xiamen Zhongzhao Imp and Exp Co. Ltd.
5	Guangzhou Chemicals Imp & Export Co. Ltd.	6	Huiying Chemical Industry (Quanzhou) Co. Ltd.

7	Shijazhuang Jianda High-Tech Chemical Co.	8	Shangdong Sun High Rising Chemical Technology Co. Ltd.
9	Jiangxi Xintao Technology Co. Ltd.	10	Fujian Risheng Chemical Co. Ltd.
11	Yangzhou Guanmin Imp. & Exp. Co. Ltd.	12	China Catalyst Holding Co. Ltd.
13	Shijazhuang Ningshu Trading Co. Ltd.	14	CHALCO Shangdong Co. Ltd
15	Nanjing Yongcheng Molecular Sieve Co. Ltd.	16	Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co. Ltd.
17	ZR Catalyst	18	Naike Chemical
19	Honwan Imp. & Exp. Co. Ltd.	20	LK (Nanjing) Co. Ltd.
21	YSHC (Tianjin) Chemical Co. Ltd.		

- v) CHALCO Qingdao International Trading Co. Ltd and CHALCO Shandong Advanced Material Co. Ltd, producers/ exporters from the subject country, have filed the exporter's questionnaire responses part I and II.
- vi) Questionnaires were also sent to the following known importers/ users of the subject goods in India seeking necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

S.N.	Name of the importer/user	S.N.	Name of the importer/user
1	M/s Procter & Gamble Home Products Private Limited	2	M/s ALA Chemicals Private Limited
3	M/s Aaditya Finechem Pvt. Ltd.	4	M/s Soneko Marketing Private Limited
5	M/s Agarwal Minerals	6	M/s Prevest Denpro Limited
7	M/s Basil Prompt Vinyl Private Ltd.	8	M/s Platinum Industries Limited Liability Partnership
9	M/s Baerlocher India Additives Private Limited	10	M/s Sudarshan Minchem Limited
11	M/s Associated Stabplast & Chemicals	12	M/s Saan Global Limited
13	M/s Bhawani Chemicals	14	M/s Shrestha Chemicals Private Limited
15	M/s Indo Reagens Polymer Additives Private Limited	16	M/s Subray Catal Chem Private Limited
17	M/s Jyoti Vinyl Limited	18	M/s Vaaghani Inc.
19	M/s Galata Chemicals India Private Limited	20	M/s Shri Sai Network Private Limited
21	M/s Lalitha Chem Industries Private Limited	22	M/s Nirmesh Enterprises Private Ltd.
23	M/s Globelark Corporation LLP	24	M/s Stabplast Chemp Industries Private Limited
25	M/s Faith Industries Limited	26	M/s Oham International
27	M/s Indofil Industries Limited	28	M/s Manav Globaltrade
29	M/s Platinum Industries Private Limited	30	Hindustan Unilever Limited

- vii) None of the importers of the subject goods in India filed an importer questionnaire response or made any submissions. The only user who has filed the user questionnaire response is Hindustan Unilever Limited.
- viii) The Authority subsequently sent economic interest questionnaire to all interested parties. Also sent a copy to administrative ministry on 14.12.2022. Economic Interest questionnaire was filed only by Hindustan Unilever Limited.

- ix) The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- x) Further information was sought from the applicant to the extent deemed necessary.
- xi) Verification of the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
- xii) The non-injurious price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and the cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and has been worked out so as to ascertain whether the present anti-dumping duty is sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xiii) The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April 2021 to 31st March 2022 (12 months) (hereinafter referred to as the "period of investigation" or "POI"). The injury analysis period included the period of investigation and the preceding three years, 2018-19, 2019-20 and 2020-21.
- xiv) In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views during the oral hearing held on 10th March 2023. The interested parties were requested to submit their rejoinder submissions by 24th March 2023. The Authority had granted extension to rejoinder submissions by 28th March 2023.
- xv) The submissions made by the interested parties to the extent considered relevant by the Authority have been addressed in this Finding
- xvi) In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 4th September, 2023 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these final findings.
- xvii) Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided the necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded its observation on the basis of the facts available.
- xviii) *** in this Finding represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xix) Exchange rate considered for the POI for conversion of USD to Indian Rupees is 1 USD = Rs. 75.37

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C. 1 Views of the other interested parties

- 5. No submission has been made by other interested parties with regard to the scope of the product under consideration (PUC) and like article.

C.2 Views of the domestic industry

- 6. The domestic industry has made the following submission with regard to the scope of the product under consideration and like article:
 - i) The product under consideration in the present application is 'Synthetic Grade Zeolite 4A' also known as 'Zeolite 4A'.
 - ii) Zeolites are microporous crystalline solids with well-defined structures. Generally, they contain silicon, aluminium and oxygen in their framework and cations, water and/or other molecules within their pores. Many occur naturally as minerals and are extensively mined in many parts of the world. Others are synthetic and are made commercially for specific uses in various industries. The general formula of Zeolite is given as $\text{Na}_x[(\text{AlO}_2)_x(\text{SiO}_2)_y] \cdot z\text{H}_2\text{O}$
 - iii) The PUC functions as a detergent builder primarily as a water softener resulting in softening of water, which requires less soap for the same cleaning effort, as soap is not wasted mopping up calcium ions.
 - iv) The product under consideration remains the same as it was in the original investigation.

C.3 Examination by the authority

7. The present investigation is a sunset review investigation concerning anti-dumping duties imposed on imports of 'Zeolite 4A' originating in or exported from China PR. Hence, the PUC in the present investigation is also 'Zeolite 4A' originating in or exported from China PR. The product under investigation as defined in the original investigation is as follows:

"6. The PUC is Synthetic Zeolite 4A (Detergent Grade). Zeolites are micro porous crystalline solids with well-defined structures. Generally, they contain silicon, aluminum and oxygen in their framework and cat-ions, water and/or other molecules within their pores. They also occur naturally as minerals, and are extensively mined in many parts of the world. Others are synthetic, and are made commercially for specific uses in various industries. The general formula is given as $Nax[(AlO_2)_x(SiO_2)_y].zH_2O$.

7. The PUC functions as a detergent builder primarily as a water softener resulting in softening of water, which requires less soap for the same cleaning effort, as soap is not wasted mopping up calcium ions.

8. The Authority notes that the PUC falls under Chapter 38 of the Customs Tariff Act, 1975. The subject goods were classified under customs sub-heading 38249022 at the time of filing of petition; however, the classification has thereupon changed to 38249922. It is further noted that the product is also being imported under different headings such as – 38249090, 38249990, 28429090, 28269000, 28399090 & 28421000. In view of the same, all such reported headings are also included in the scope of the present investigation. In any case, the Customs classification indicated is only indicative."

8. The Authority notes that the product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are like articles in terms of the Rules. The two are technically and commercially substitutable. The Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject country within the scope and meaning of Rule 2(d) of anti-dumping Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**D.1 Views of the other interested parties**

9. No submission has been made by other interested parties with regard to scope of the domestic industry and its standing:

D.2 Views of the domestic industry

10. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of the domestic industry and the standing:

- i) The application has been filed by M/s Gujarat Credo Mineral Industries Limited (GCMIL).
- ii) Analysis of domestic industry's standing is not a mandatory requirement in a sunset review investigation.
- iii) The applicant has neither imported the subject goods from the subject country nor are they related to any importer in India or producer/ exporter from the subject country.
- iv) There is one more producer of the subject good in India, M/s Chemical India.
- v) The production by the applicant company constitutes 'a major proportion' of the total Indian production as per Rule 2(b).

D.3 Examination by the authority

11. Rule 2(b) of the AD Rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry ' must be construed as referring to the rest of the producers"

12. The application has been filed by M/s Gujarat Credo Mineral Industries Limited (GCMIL). The Authority notes that the production of the applicant company constitutes ***% of total domestic production of the subject goods in India. The applicant has not imported subject goods and are not related to any importer or exporter thereof. It is noted that the applicant is the eligible domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules, even though standing within the meaning of Rule 5(3) is not required to be established in a sunset review initiated under Rule 23.

E. MISCELLANEOUS**E.1 Views of the other interested parties**

13. The other interested parties have made the following miscellaneous submissions:

- i) Information provided by petitioner is insufficient to justify initiation. Allegations are based on estimations & assumptions. No logical conclusions can be drawn from the data submitted. The Authority should examine accuracy and adequacy of the evidence to determine sufficiency to justify initiation. The Authority has found “*prima facie*” evidence as against the requirement of “sufficient” evidence. Reference is made to Panel’s decision in United States- Softwood Lumber from Canada, Guatemala- Cement II and Mexico- Steel Pipes and Tubes.
- ii) The Petition fails to meet several requirements prescribed under the anti-dumping Agreement and the Anti-dumping rules read with Trade Notice No. 01/2022. As per clause 2 (vi) of Trade Notice No. 01/2022, an interested party can access the import data submitted by the applicant to the DGTR after providing an undertaking in Annex-I to the Investigating Officer. Further, CESTAT in *Exotic Décor Pvt. Ltd. and Ors. v. Designated Authority, Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties*, had cast an obligation on the Authority to provide import data in the same form and manner in which it was taken on record. However, the Authority has not provided for a transaction-wise import data after a request was filed by the user on December 16, 2022.

E.2. Views of the domestic industry

14. The domestic industry has made the following miscellaneous submissions:

- i) Respondent has unnecessarily attempted to create confusion between the requirement of sufficiency under Rule 5(3) and the term “*prima facie*”, whereas the Authority makes out a *prima facie* case after thorough examination.

E.3. Examination by the authority

15. The miscellaneous submissions by the interested parties to the extent found relevant have been addressed below:

- i) In reference to submissions made on application lacking justification for initiation the present investigation, the Authority disagrees with this assessment and considers that the requirements for initiation of an investigation were met. In this respect, the Authority notes that the applicants submitted evidence that the duties in place helped reduce the dumped imports from China PR, and there were significant capacities available in subject country sufficient to capture the Indian market. It was also alleged that there was high export orientation of producers in the subject country. The analysis of the request, thus, showed that there was sufficient evidence at initiation stage pointing to a likelihood of continuation or recurrence of dumping should the anti-dumping duties applicable to imports from China PR be allowed to lapse.
- ii) Further, the argument from other interested parties is unsubstantiated and lacking material ground. In the absence of specific instances or grounds that the application lacked, the Authority cannot address the same in detail. The Authority has followed an objective and unbiased process while assessing the merits of the application and subsequently as the investigation has proceeded.
- iii) As regards import data, the Authority has procured from DGCI&S transaction wise data for determining volume and value of imports of the product under consideration in the present investigation. The DGCI&S data did not show any import transactions from China PR. The Authority has considered import volume and value as provided by the cooperating producer/exporter. The interested parties are being provided opportunity to comment on the Findings.
- iv) Further, it is submitted that the DGTR has been constantly relying upon the DGCI&S data which provides reliable and authentic information, and the same has been relied upon and examined in the present investigation.

F. ASSESSMENT OF CONTINUATION OF DUMPING AND DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN**F.1 Views of the other interested parties**

16. The other interested parties have made the following submissions with regard to the normal value, export price and dumping margin:

- i) There are no imports of the PUC from China PR during the POI. Hence there is no dumping in the POI and the Authority should reject the dumping margin determined in the petition as was done by the Authority in previous SSR investigations.¹

¹ Sunset Review of Anti-dumping Duty imposed on imports of "Hot-Rolled flat products of alloy or non-alloy steel" from China PR, Japan, Korea RP, Russia, Brazil, and Indonesia, Final Finding dated September 14, 2022.

F.2 Views Of The Domestic Industry

17. The submissions of the domestic industry with regards to the normal value, the export price and the dumping margin, are as follows:
- i) China should be considered a non-market economy, in line with the position taken by the Authority in previous cases, and by the investigating authorities in other countries. Chinese producers' cost and price cannot be relied upon for determination of normal value.
 - ii) The Authority shall follow Para 1 – 6 of Annexure I for the determination of normal value only if the responding Chinese companies establish that their costs and price information is such that individual normal value and dumping margin can be determined. If the responding Chinese companies are not able to demonstrate that their costs and price information can be adopted, the Designated Authority shall reject the claim of individual dumping margin.
 - iii) Paragraph 1 to 6 of Annexure I of the Rules does not apply for computation of normal value for imports from China PR, unless a producer/exporter shows with sufficient evidence that he is operating under market economy conditions. As a result, normal value for China PR has to be determined in terms of Para 7 of Annexure I of the Rules.
 - iv) Chinese producers are required to be treated as companies operating under non-market economy environment and the Authority may proceed to determine the normal value on the basis of Para 7 of Annexure-I.
 - v) The applicant has constructed the normal value on the basis of the estimate of cost of production in the subject country considering the costs of the domestic industry in India, duly adjusted to include selling, general and administrative costs of the domestic industry by adding reasonable profits, after addition for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.
 - vi) There are no known imports of the product during the present period and the product is not being dumped currently. However, there is sufficient evidence that dumping is likely to recur in the event of cessation of duty.
 - vii) The applicant has determined export price by considering the price at which the applicant is selling the product in the domestic market. This price is considered as the maximum price at which Chinese producers could sell the like product in the Indian market in order to substitute the same being made by the applicant or other producer or other foreign producers.
 - viii) Exporters have claimed that they are exporting to India at a low volume and have not contended that they are not dumping goods into India which is a clear indication that dumping is continuing.

F.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

F.3.1 Normal Value

18. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

- i. *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- ii. *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along With reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

19. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology, that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event; the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector. "

20. It is noted that while, the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the India's Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming the market economy status.

21. M/s Chalco Shandong Advanced Material Co., Ltd and M/s Chalco Qingdao International Trading Co., Ltd. have participated and submitted questionnaire response, however they have not claimed market economy treatment. The normal value has thus been determined in accordance with Para 7 of Annexure I to the Rules.

22. Para 7 of Annexure I of the Rules reads as under:

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third

country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

23. Para 7 lays down a hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from

such a third country to other country, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure 7. There is no evidence of price or constructed value prevailing in market economy third country brought forward by any interested party. Imports into India are from countries that are currently subject to antidumping investigation. Thus, imports into India from market economy third country could not be taken. The normal value could not be based on the price from a market economy third country to other country, including India as this subject good does not have dedicated ITC HSN classification.

24. Therefore, the Authority has determined normal value for the subject imports in China as per any other reasonable basis including the “price actually paid or payable in India” as stipulated in para 7 of Annexure – I to the AD Rules, 1995. It has been computed based on the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

F.3.2 Export Price

25. The Authority notes that following producer and exporter from China PR have furnished information to the Authority which could be used for determination of export price and individual dumping margin.

- i) M/s Chalco Shandong Advanced Material Co., Ltd (Producer)
- ii) M/s Chalco Qingdao International Trading Co., Ltd. (related trader/exporter)

26. Therefore, the Authority has analysed the response made by the exporters as follows:

M/S CHALCO SHANDONG ADVANCED MATERIAL CO., LTD, (“CHALCO AM”) (PRODUCER) AND M/S CHALCO QINGDAO INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. (CHALCO QINGDAO) (EXPORTER)

27. Chalco Shandong Advanced Material Co., Ltd. is a limited liability company established under Company Law of the People’s Republic of China.
28. During the POI, Chalco Shandong Advanced Material Co., Ltd., has exported ***MT of the subject goods of invoice value ***RMB to India indirectly through a related party namely, Chalco Qingdao International Trading Co., Ltd., on ex-works basis.
29. Chalco Qingdao International Trading Co., Ltd., China PR has claimed adjustment on account ocean freight, marine insurance, export insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost, bank charges and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, export price at ex-factory level for Chalco Shandong Advanced Material Co., Ltd., has been determined and the same is shown in the dumping margin table below.

NORMAL VALUE & EXPORT PRICE FOR NON-COOPERATING PRODUCERS/EXPORTERS

30. For all other producers/ exporters of China PR, export value has been determined based on facts available. Export price has been determined on the basis of transaction wise import data of the cooperating producer and exporter. Since these are CIF export price, these have been adjusted for expenses such as ocean freight, insurance, port expenses, bank charges, inland freight, commission to determine ex-factory export price.

F.3 DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

Examination of the Authority

31. Considering the normal value and the export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject country is determined as follows:

Dumping Margin

SN	Producers	Normal Value (US\$/MT)	Net Export Price (US\$/MT)	Dumping Margin (US\$/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range %)
1	Chalco Shandong Advance Material Co. Ltd. (CSAMCL)	***	***	***	***	130-140

2	All producers/ exporters from	Other ChinaPR	***	***	***	***	130-140
---	-------------------------------	---------------	-----	-----	-----	-----	---------

G. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Views Of The Other Interested Parties

32. The other interested parties have made the following submissions with regards to injury:

- i) The injury to the applicant is on account of other factors which includes lack of its capacity to address to the demand of the user industry due to capacity limitation, reduction in production due to technical upgradation at its plant and heavy rains in 2021, negligible impact of shutdown during 2019-20, 2020-21 due to Covid-19, and due to own inefficiencies of GCMIL.
- ii) There is no volume injury to the applicant as the imports from China PR have decreased from 100 indexed points to 0 from the base year to the POI while the domestic sales of the applicant and other domestic producers have increased significantly during the injury period, outpacing the demand of the subject goods.
- iii) The applicant's exports have increased by 35 times in the POI, indicating that the applicant has shifted their focus to exports markets leaving low volumes for domestic sales resulting in their inability to meet the demand of the country.
- iv) The applicant admits in the application that the reason for reduced volume of subject imports from China is because of alleged dumped imports from Thailand/Iran/UAE, therefore the existence or non-existence of duties on China PR is not the because of decline in imports from China.
- v) While the market share of imports and exports from the subject country declined significantly during the base year to the POI, the market share of the applicant increased from 16% to 28%, which could have improved had the applicant not shifted its focus to export markets.
- vi) The applicant has been able to change its prices commensurately with changes in the cost of production, thereby indicating no existence of price suppression or depression.
- vii) The applicant attempted to obscure information relating to price undercutting for the three years prior to the POI. Since, there has been no imports of the PUC from the subject country in the POI, there exists no price undercutting in the POI.
- viii) The applicant is not suffering any material injury on account of subject imports as the domestic sales, production, and capacity utilization doubled, while the wages and productivity significantly increased during the POI in comparison to the base year. The applicant's financial statements also acknowledge that they were able to close the financial year 2021-22 with record production and sales of Synthetic Zeolite.
- ix) The reason for the increase in production and sales of the PUC during the injury period when the number of employees in the same period decreased needs to be verified.
- x) The applicant claimed anomalous profitability figures under Proforma IVA. The applicant claimed a positive figure for PBDIT in absolute values while the PBDIT in per unit value claimed is negative. Further, the applicant claimed losses under Proforma IV A for the PUC while the applicant reported a profitable year in the financial statements for the year 2021-22.
- xi) The applicant stated in its financial statement 2021-22 that its plant operations were impacted due to higher shipping, logistics and input costs, higher energy, and coal prices, however, they were able to pass on the increased cost to the customers. There is no injury being suffered by the applicant on account of these factors.
- xii) The applicant is involved in the production of various forms of Bauxite and Zeolite, which caters to products besides the PUC and industries besides detergents and hence, should confirm whether, (a) the capacity figures reported are allocated to the production of the PUC and not other products, and (b) the capacity reported is the projected or actual capacity.
- xiii) The producers of the downstream products of the PUC are forced to import the PUC from countries other than China PR and Thailand as even the full capacity utilization of the domestic producers is not enough to meet the demand of the PUC. Moreover, the applicant had declined the user's requests to increase allocation several times citing capacity limitation.
- xiv) The applicant claims that the capacities of the PUC in China PR is several times more than the demand in India, however, the websites relied upon by the applicant to corroborate this claim do not state the

same. Further, the applicant did not provide any information regarding idle capacities, but rather only on 'Capacity (MT per annum)' possibly indicating the alleged capacity in the subject country and not idle capacity.

- xv) There were no imports of the PUC during the POI, hence, there can exist no price suppression/depression.
- xvi) The reason for the increase in production and sales of the PUC during the injury period when the number of employees in the same period decreased needs to be verified.
- xvii) The applicant is involved in the production of various forms of Bauxite and Zeolite, which caters to products besides the PUC and industries besides detergents and hence, should confirm whether, (a) the capacity figures reported are allocated to the production of the PUC and not other products, and (b) the capacity reported is the projected or actual capacity.
- xviii) There is a demand supply gap of the PUC in India.
- xix) Due to Covid-19 pandemic there were unplanned shutdowns in the plants of the PUC manufacturers leading to a shortage in supply.
- xx) The injury period was marked by a notable growth in demand and sharp decline in subject imports which was insignificant even in the POI. The alleged loss to the applicant is due to factors such as limited capacity, shut down etc. which affected the performance of the domestic industry. Since, there is a break in causal link between the subject imports and injury, the current investigation should be terminated.
- xxi) The liquid detergent has been gradually substituting the power detergent, and the global demand for Zeolite 4A has been declining. Qingdao's export to India has been reduced significantly since the imposition of existing anti-dumping duty.
- xxii) The rising cost of raw materials under the influence of global energy crisis has significantly increased the production cost of the PUC. The companies' investment in environmental protection has also added to the production cost of the PUC.
- xxiii) Due to the existing anti-dumping duties, the Indian importers had to bear higher cost to import the PUC from abroad which affected the availability of the PUC in the Indian market.
- xxiv) Actual performance of the domestic industry has also improved sharply except the profits. Petitioner was already facing losses during the base year 2018-19, however, the same has been converted into profits and then again into losses even when the duty was in force. So, it is clear that the duty on the goods imported from China PR has no correlation with the losses of the petitioner
- xxv) The applicant stated in its financial statement 2021-22 that its plant operations were impacted due to higher shipping, logistics and input costs, higher energy, and coal prices, however, they were able to pass on the increased cost to the customers. There is no injury being suffered by the applicant on account of these factors.

G.2 Views Of The Domestic Industry

33. The following submission were made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

- i) The demand or apparent consumption of the product concerned in India has declined from base year to 2020-21 and increased significantly in the POI.
- ii) Imports from China declined over the injury period and imports are non-existent in the POI. Absence of imports from China during the POI should be considered as a result of
 - (a) existing anti-dumping duties on China and (b) dumped imports from Thailand and Iran/UAE.
- iii) Imports from China have declined in both, absolute and relative, terms as a result of imposition of duty.
- iv) Imports from China were undercutting the prices of the domestic industry over the injury period when they occurred. Since there were no imports from China in the POI, price undercutting was not determined.
- v) While the products were not being dumped from China during the POI, there were dumped imports from Thailand and Iran/UAE which were having suppressing effect on the prices of the domestic industry.
- vi) Imports from China when it occurred in the injury period were even below the level of costs and sales of the domestic industry indicating the likelihood of suppression in the event of cessation of duty.
- vii) The capacity with the domestic industry remained constant. Production and capacity utilization of the domestic industry increased over the injury period. However, capacity utilization was not to the optimum level. Sales of the domestic industry also increased.

- viii) The increase in production and sales have been possible the domestic industry is selling at significantly low prices to compete with dumped imports from other countries.
- ix) The losses being made by the domestic industry in the present is more than what the domestic industry made in the injury period of the original investigation.
- x) The market share of China has declined significantly in the POI due to the existing duties and dumping from other countries. The market share of the domestic industry would decline significantly should the present duties cease and dumped imports from China recur.
- xi) Profits of the domestic industry were low till 2019-20. They declined and became negative in the injury period despite duties in place. Dumped imports from other countries have forced the domestic industry to sell at prices even below cost throughout the injury period.
- xii) The ROI of the domestic industry has also been negative throughout the injury period except during 2019-20 and is currently at a level even below the level prevailing in the base year of the injury period.
- xiii) Inventories with the domestic industries remained significant throughout the injury period.
- xiv) Number of employees declined while the wages increased as per the laws prevailing in the country. Productivity per employee also increased.
- xv) Growth of the domestic industry in respect of price parameters has been adversely affected due to dumped imports from other countries.
- xvi) Imports from Thailand and UAE are at dumped prices.
- xvii) There is no decline in demand of the product over the proposed injury period. Decline in demand is not a possible cause of injury to the domestic industry.
- xviii) Domestic industry is suffering injury due to the dumped imports from Thailand and Iran. The technology adopted by domestic industry is comparable to the technology being adopted by the producers in China, Thailand and Iran.
- xix) The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change.
- xx) There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the claimed injury to the domestic industry.
- xxi) Technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a factor of claimed injury.
- xxii) The domestic industry has made exports in the proposed injury period, however, exports are a negligible share of total sales. In any case, information on exports has been segregated as regards sales and prices are concerned.
- xxiii) There is significant difference between the prices offered by the domestic industry and foreign producers. Resultantly, imports have continued to cause injury to the domestic industry.
- xxiv) Imports of the product under consideration declined. Even though there was an increase in demand for the subject goods, the domestic industry was prevented from increasing its gaining market share to the optimum level because of presence of dumped imports from other sources.
- xxv) The price undercutting has prevented the domestic industry from raising prices to the extent of cost increases.
- xxvi) Price suppression has led to negative profits of the domestic industry.
- xxvii) Negative profits has led to decline in PBIT and return on investment.
- xxviii) Landed price of actual imports are below the fair prices for the domestic industry.
- xxix) Growth of the domestic industry has become negative in respect of a number of price parameters in the POI, which is due to dumping by the subject country.
- xxx) Chinese imports were not found in any official sources by the applicant; however, the responding exporter has shown imports into India during the current POI, indicating that these imports were off the record and not through proper channels.
- xxxi) Exporters have claimed that they are exporting to India at a low volume and have not contended that they are not dumping goods into India which is a clear indication that dumping is continuing.
- xxxii) The increase in exports by petitioner in the base year was inconsequential. Export sales are negligible (2% in POI) as compared to the domestic sales and the applicant requests the Authority to verify this

fact from the confidential submissions. In fact, it declined during the last two years of the injury period due to dumping by China in third countries as is evidenced through third country data and email communication by importers in other countries.

- xxxiii) The increase in production costs in the year 2021-22 were reflective of the increase in global costs. The applicant saw a major amount of cost increases, more than price increases and these domestic industry prices were in line with global trends.
- xxxiv) Covid-19 pandemic was a global phenomenon that impacted the applicant who then ramped up production and sales during the POI and the preceding year.

G.3 Examination By The Authority

- 34. The submissions made by the domestic industry and the other interested parties during the course of the investigation with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed in the present notification.
- 35. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority has examined the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury.
- 36. The Authority has taken note of the various submissions made by the domestic industry and other interested parties on injury and causal link and has analysed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority *ipso facto* addresses submissions made by the domestic industry and other interested parties.
- 37. As regards the argument that the focus of the applicant has increased on exports, it is noted that the export sales by the applicant is negligible in relation to capacity, production and sales.
- 38. As regards the argument that zeolite and bauxite is produced by the applicant and thus whether the capacity figures reported are allocated to the production of the PUC and not other products, and whether the capacity reported is the projected or actual capacity, the Authority notes that the capacity reported by the applicant is for zeolite and not for bauxite. The capacity is common for zeolites as a whole. However, information on sales, selling price, profitability, ROI etc have been considered for the subject goods alone.
- 39. As regards the argument that the demand of zeolite 4A is declining globally, it is seen that no evidence have been brought forward to substantiate this claim. In any case, it is seen that the demand over the present injury period in India has shown an increase.
- 40. Rule 11 of the Rules read with its Annexure-II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles.*”
- 41. The Authority has examined the various injury parameters on account of imports from the subject country before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude, and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure-II of the Rules.
- 42. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6,7,8,9,10,11,16,18,19 and 20 shall apply *mutatis mutandis* in case of a sunset review. The Authority in its examination has evaluated the injury parameters which are required under Rules and Annexure II of the Rules and has also examined as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

Assessment Of Demand/Apparent Consumption

- 43. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources as per DGCI&S data. The exporter has reported higher exports to India. Thus, imports from China have been considered based on response filed by the responding exporter.

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
	Index	100	133	135	175
Sales of Other Indian Producers	MT	***	***	***	***
	Index	100	66	110	152
Imports from Countries under investigation	MT	***	***	***	***
	Index	100	352	301	360
Imports from subject country- China	MT	***	***	***	***
	Index	100	09	13	05
Imports from Other Countries	MT	***	***	***	***
	Index	100	266	325	1317
Total Demand/Consumption	MT	***	***	***	***
	Index	100	105	103	126

44. It is seen that the demand increased till 2019-20 and declined in 2020-21. Demand has increased significantly thereafter in the POI.

Volume Effect Of Dumped Imports On Domestic Industry

a) Import Volumes and Share of Subject Country

45. The effects of the volume of dumped imports from the subject country as well as imports from other countries have been examined by the Authority as follows.

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Import Volume					
Subject country - China	MT	***	***	***	***
		100	09	13	05
Imports from Countries under investigation	MT	***	***	***	***
		100	352	301	360
Other Countries	MT	***	***	***	***
		100	266	325	1317
Total Imports	MT	***	***	***	***
		100	103	93	109
Subject imports in relation to					
Total imports	%	***	***	***	***
	Index	100	08	14	04
Indian production	%	***	***	***	***
	Index	100	08	10	03
Indian consumption	%	***	***	***	***
	Index	100	10	13	04

46. It is seen that:

- Imports from China PR has declined significantly over the injury period post imposition of anti-dumping duty in China.
- Imports from other countries (countries under investigation) has increased significantly over the injury period. The Authority is undertaking a parallel anti-dumping investigation on imports of zeolites from Thailand and Iran.

Price Effect of Dumped Imports

47. With regard to the effect of dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports when compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred in the normal course.

a) Price Undercutting

48. In order to determine, whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, price undercutting has been worked out by comparing the landed price of the subject imports with the selling price of the domestic industry during the injury period.

i. Price Undercutting Without ADD

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Landed price of imports	Rs/kg	***	***	***	***
	Index	100	101	88	123
Net selling price	Rs/kg	***	***	***	***
	Index	100	103	103	118
Price undercutting	Rs/kg	***	***	***	***
	Index	100	103	103	118
Price undercutting %	%	***	***	***	***
	Range	15-25	15-25	35-45	10-20

ii. Price undercutting with ADD

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Landed price with ADD	Rs/kg	***	***	***	***
	Index	100	104	93	118
Net selling price	Rs/kg	***	***	***	***
	Index	100	103	103	118
Price undercutting	Rs/kg	***	***	***	***
Price undercutting %	%	***	***	***	***
	Range	(10-20)	(0-10)	(0-10)	(10-20)

49. It is seen that the landed value of subject imports without anti-dumping duty has been below the selling price of the domestic industry throughout the injury period. There is significant price undercutting in the POI. It is also noted that price undercutting would be negative only after taking into account the anti-dumping duty in place.

b) Price Suppression Or Depression

50. For the purpose of analysing price suppression and depression in the domestic market, the applicant has provided information about (a) unit cost of sales, (b) domestic selling price.

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Cost of Sales	Rs./Kg	***	***	***	***
	Index	100	113	122	137
Selling Price	Rs./Kg	***	***	***	***
	Index	100	103	103	118
Landed price of imports	Rs./Kg	***	***	***	***
	Index	100	101	88	123

51. It is seen that the cost of sales has increased throughout the injury period. However, the domestic industry has not been able to increase its selling price corresponding to the increase in cost of sales resulting in significant price suppression. Further, the landed value of subject imports is significantly below the level of cost of sales. These dumped imports were having a suppressing effect on the prices of the domestic industry in the market.

Economic Parameters of the Domestic Industry

52. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:

a) Capacity, Production, Capacity Utilization And Sales

53. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over the injury period.:

Particulars	Units	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Installed Capacity	MT	***	***	***	***
	Index	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***
	Index	100	145	154	192
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
	Index	100	144	151	204
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	Index	100	133	135	175

54. It is seen that:

- The capacity with the domestic industry has remained constant during injury period and POI as well as original investigation.
- Production and capacity utilization of the domestic industry has increased over the injury period.
- Sales of the domestic industry has also increased over the injury period.

b) Market Share in Demand

55. The market share of the subject imports and the domestic industry over the entire injury period was as follows.

Market Share in Demand	Units	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Sales of Domestic Industry	%	***	***	***	***
	Index	100	126	132	137
Sales of Other Indian Producers	%	***	***	***	***
	Index	100	60	100	120
Imports from countries under investigation	%	***	***	***	***
	Index	100	342	300	289
Import from subject country- China	%	***	***	***	***
	Index	100	10	13	4
Imports from Other Countries	%	***	***	***	***
	Index	100	-	-	-
Total Demand/Consumption	%	100%	100%	100%	100%

56. The market share of China has declined significantly in the period of investigation due to the existing duties in place and alleged dumping from other countries. The domestic industry was able to increase its market share from *** to *** by increasing its production from the base year to the POI. However, this increase in the market share has been achieved at the cost of selling price not keeping pace with the cost of sales. It has been claimed by the domestic industry that despite existing duties on China, owing to continued dumping from other countries, the domestic industry has to contend itself with a market share of mere ***. Under these circumstances, the market share of the domestic industry might decline significantly should the present duties cease.

c) Profitability, cash profits, and return on capital employed

57. The profit, profitability, cash profits, profit before interest (PBIT), and return on investment of the domestic industry over the injury period has been analysed as follows:

Particulars	Units	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***
	Index	100	113	122	137
Selling price	Rs/Kg	***	***	***	***
	Index	100	102	103	118
Profit	Rs/Kg	***	***	***	***
	Index	100	-563	-1108	-1045
Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Index	100	-749	-1500	-1832
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Index	100	13	-70	-126
Profit before interest and tax	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Index	100	-94	-274	-327
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
	Index	100	-70	-228	-310

58. It is seen that

- The domestic industry was earning profits in the base year, however it started incurring losses once again since 2019-20. The losses have further intensified in the POI.
- The cash profit of the domestic industry declined from Rs *** lacs in 2018-19 to Rs *** lacs in 2019-20. It became negative in 2020-21 and POI.
- The ROI of the domestic industry was positive in the base year, however, became negative since 2019-20.

d) Inventory

59. The data relating to inventory position of the domestic industry over the injury period and POI is given in the table below:

Particulars	Units	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Average Inventory	MT	***	***	***	***
	Index	100	50	14	7

60. The Authority notes that level of inventories with the domestic industry declined since 2019-20.

e) Employment, wages and productivity

61. The position with regard to employment, wages and productivity of the domestic industry is as follows:

Particulars	Units	2018-19	2019-20	2020-21	POI
No of employees	Nos.	***	***	***	***
	Index	100	97	90	85

Salaries & wages	₹ Lacs	***	***	***	***
	Index	100	128	120	135
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
	Index	100	145	154	192

62. The Authority notes that the number of employees has declined throughout the injury period and wages paid have increased over the injury period. Productivity per employee increased throughout the injury period with increase in production.

f) Ability to Raise Capital Investments

63. It is seen that the domestic industry is incurring losses, and hence its ability to raise capital investments is limited.

g) Magnitude of Dumping and Dumping Margin

64. It is seen that the dumping margins are not only more than de-minimis but also significant.

h) Growth

65. The information with respect to growth of the applicant companies is given below:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Production	Y/Y		0.45	0.06	0.25
Domestic Sales	Y/Y		0.33	0.02	0.30
Profit/loss	Y/Y		(8.49)	1.00	0.22
Cash profit	Y/Y		(0.87)	(6.36)	(2.81)

66. The domestic industry has registered positive growth in volume parameters and however, growth in terms of price parameters have been negative.

i) Factor Affecting Prices

67. The examination indicates that the demand in India for the subject goods is not a limiting factor for the growth of the domestic industry. The import prices affects the prices of the domestic industry in the domestic market.

I. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS (NON-ATTRIBUTION ANALYSIS)

68. The Authority examined known factors other than the dumped imports and ascertained whether these are at the same time have been injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors, if any, is not attributed to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry.

a) Volume and Prices of Imports from third Countries

69. On the basis of *prima facie* evidence, a parallel anti-dumping investigation is being conducted on the imports from Thailand and Iran. Imports from all other countries are either de minimis or at higher prices.

b) Contraction in Demand

70. It is seen that demand for the product under consideration has increased over the injury period.

c) Changes in Pattern of Consumption

71. It is seen that there are no changes in the pattern of consumption for the product under consideration over the injury period.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

72. The Authority notes that the investigation has not shown any change in the conditions of competition or any trade restrictive practices.

e) Developments in technology

73. It is seen that there are no significant changes in technology.

f) Export performance of the domestic industry

74. The Authority has considered data for the domestic operations only for the injury analysis. The export volume of domestic industry has always been low.

g) Performance of other products

75. The domestic industry has provided the injury data for the PUC and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Performance of other products produced and sold by the applicant companies have not been considered.

MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

76. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the POI. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the Rules.

77. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as determined by the Authority is provided in the table below.

Injury Margin

S.N.	Producers	Non-Injurious Price (US\$/MT)	Landed Price (US\$/MT)	Injury Margin (US\$/MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin (Range %)
1	Chalco Shandong Advance Material Co. Ltd. (CSAMCL)	***	***	***	***	30-40
2	All Other producers/ Exporters from China PR	***	***	***	***	35-45

H. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

78. The Authority notes that this is a sunset review investigation. The domestic industry has claimed that it is not suffering from any continued injury and that it is likely to suffer injury in the event of cessation of anti-dumping duty. Accordingly, the Authority has examined the likely scenario of continuation of dumping and recurrence of injury on account of dumped imports if anti-dumping duty is allowed to expire.

H.1 VIEWS OF THE OTHER INTERESTED PARTIES

79. The other interested parties have made the following submissions with regards to likelihood of continuation or recurrence of injury-

- There is no newly developed market after the imposition of anti-dumping duty on the PUC from China PR. The companies have not increased the exports to third countries but maintained it at a relatively stable level.
- The liquid detergent has been gradually substituting the power detergent, and the global demand for Zeolite 4A has been declining. Qingdao's export to India has been reduced significantly since the imposition of existing anti-dumping duty.

- iii) There will be an increase in Qingdao's export to India if the anti-dumping duty is revoked. However, the growth rate will certainly not be large as the market has been gradually taken up by other suppliers during the past 5 years. Accordingly, Qingdao will adjust its sales strategy.
- iv) The websites relied upon by the applicant to corroborate the claim that the capacities of the PUC in China PR is several times more than the demand in India do not state the same. Further, the applicant did not provide any information regarding idle capacities, but rather only on 'Capacity (MT per annum)' possibly indicating the alleged capacity in the subject country and not the idle capacity.
- v) No evidence was also adduced showing that Chinese producers have expanded their production during the injury period. The website evidence submitted for the applicant's claim that 'Naik Chemical' has expanded their production of Zeolite catalyst lacks evidence/sources as the said capacity expansion details the same to have taken place between 2002 to 2007.
- vi) The applicant did not provide any corresponding evidence to substantiate that the producers in China are highly export oriented, pointing towards their high production capacity and low domestic demand other than the websites which merely detail the export destination of Chinese producers.
- vii) The applicant failed to make any averments that exports will be diverted to India despite the existence of other export markets for the Chinese producers.
- viii) The applicant's claim that the prices of Chinese exports to third countries, i.e., a volume of 33,890 MT is below prices to India and the information provided under "price attractive volume in relation to Indian demand" are mere claims made without providing credible evidence. Further, the applicant has provided for no data or analysis to determine that the Indian market is price attractive and vulnerable.
- ix) Shangdong has sufficient capacity to cater the demand and has maintained the capacity at a relatively stable level.
- x) The exporters from other countries like Thailand have flooded the Indian market with low prices since the anti-dumping duties were imposed which would influence market price of the PUC in India.
- xi) Had the Chinese exporters dumped the subject goods to third countries, such countries would have undertaken the investigation against them, however, no such investigation has been initiated. The petitioner is just trying to manipulate the Authority by making unsubstantiated allegations.

H.2 Views of the domestic industry

80. The following submission were made by the domestic industry with regard to likelihood of continuation or recurrence of injury and dumping:

- i) Antidumping duties on imports of the PUC from China have led to decline in imports from China and helped the domestic industry to utilize their idle capacity. However, dumping of the subject goods from Thailand and Iran/UAE increased.

Particulars	Units	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
China PR	MT	13,620	408	638	0
Thailand + UAE					
Thailand	MT	4,495	15,808	12,905	14,864
UAE	MT	-	-	618	1,339

- ii) The Chinese have significant idle capacities, exceeding the demand in India multiple times. Capacities with some of the individual major players hold are several times more than the entire domestic demand in India.

S.N.	Producers In China	Capacity (MT/annum)
1.	Huiying Chemical Industry (Quanzhou) Co., Ltd. ²	1,50,000
2.	Chalco Shandong Co. ³	2,40,000

² <http://www.xmzeolite.com/EN/>

³ Biggest Zeolite Producer Chalco Zeolite - Buy A4 Zeolite, Zeolite 4a, Zeolite Product on Alibaba.com

3.	Sino Material Technology Co. Ltd. ⁴	1,00,000
4.	Jalon Zeolite ⁵	55,000
5.	Yangzhou Guanmin Imp. & Exp. Co., Ltd. ⁶	15,000
6.	Nanjing Yongcheng Molecular Sieve Co., Ltd. ⁷	10,000
7.	Jiangxi Xintao Technology Co., Ltd. ⁸	5,000
8.	LK (NANJING) CO., LTD. ⁹	1,000
9.	Total known capacity	5,76,500
10.	Indian demand	29,459
11.	Additional capacity with Chinese producers compared to Indian demand	5,46,541

- iii) Chalco Qingdao International Trading Co. Ltd. has itself identified their company as the “World’s largest Zeolite 4A producer”. The Government of China has a significant share in the Chalco group of companies. Apart from Chalco, other producers such as Huiying Chemical Industry (Quanzhou) Co. Ltd. and Jalon Zeolite have significant capacities sufficient to drive the entire Indian Industry out of the Indian market. Further, producers like Naike Chemical has expanded new productions of molecular sieve, activated alumina, zeolite catalyst, tower internal parts, warehouses by 6000 cubic meters.
- iv) There are over 200 producers of the subject goods in China PR with massive production capacity. China is a major exporter of the subject goods to major economies across the globe. Chinese capacities and exporting capabilities would only increase in the future due to shift to environmentally friendly options in manufacturing detergents.
- v) The domestic industry was being burdened by dumped imports from China during the initial years of the injury period until the dumping shifted to Thailand and UAE. However, a mere 10,000 MT of dumped imports being routed back to India upon cessation of duties is more than sufficient to kill the entire Indian industry.
- vi) China is roughly 3 times larger than India and currently only has a difference of 0.04 billion in terms of population between the two countries. Further, while considering the consumption of detergents worldwide, China’s demand/consumption is just 2 – 2.5 times that of India. Even though China has a higher spending potential compared to India, the production capacities available with them far exceeds what is required for their population. Therefore, the Chinese demand can ideally be only 2.5 times more than Indian demand would render freely disposable production capacities enormous.

	Economy	Position of economy in the world (2022)	Population (in billions)	Purchasing Power Parity (PPP in GDP) in 2021	PPP GDP in figures (billions Int. \$)
China	Developing	2	1.41	261% of India	26,657
India	Developing	5	1.38		10,207

Source: Investopedia, Statistics Times

Total known Chinese capacity	Indian Demand	Approximate Chinese demand (2.5 times Indian demand)	Disposable Capacity
5,76,500 MT	29,459 MT	74,000 MT (approx..)	5,02,500 MT

⁴ <https://www.echemi.com/shop-us20210422177858946/index.html>

⁵ <https://www.jalonzeolite.com/quality/>

⁶ <https://deterchem.com/product/zeolite-detergent-grade/>

⁷ <http://njyongcheng.com/index/index.html>

⁸ <http://en.xt988.com/page/html/company.php>

⁹ <https://rawchem2021.en.made-in-china.com/company-LK-NANJING-CO-LTD-.html>

- vii) Major domestic producers in China have significant global presence and export sales to major economies, countries and regions. They would be focused on increasing their production and exports further, as countries worldwide are shifting their focus to producing environmentally safe products, which have led them to utilizing zeolites as a replacement for phosphates for manufacturing detergents. The global zeolite market size is expected to reach USD 44.24 billion by 2028. It is expected to expand at a CAGR of 6.5% from 2021 to 2028. China would never back out from this opportunity of increasing their footprint around the globe for zeolite.
- viii) Chinese producers are dumping the subject goods to third countries. The prices offered by the Chinese producers were so low at a point that the applicant, themselves being an exporter, lost several potential export opportunities especially during the POI. Email communications of the applicant with the leading foreign traders dealing with Zeolite 4A globally show that the prices being offered by applicant were much higher against the offer that Chinese exports were giving.
- ix) The decline in dumped imports from China asserts that Chinese producers have routed the subject goods to potential markets to continue dumping of the subject goods. Based on the best available information with the applicant and considering the exports of China to third countries like Philippines, Indonesia, Pakistan, Vietnam, and Bangladesh it can be construed that there is significant volume of dumped imports which were sold at prices lower than the normal value and NIP of the subject goods, as can be seen from the table below. The percentage of this quantity to the dumped imports in relation to Indian demand is 115%.

Country	UoM	Dumped exports to third country*	Total exports to third country *	% of dumped exports	Dumped exports in relation to Indian demand	Indian Demand
China	MT	33,890	33,890	100%	115%	29,459

- x) There is significant volume of material which was sold at prices lower than the normal value of the subject goods. The applicant has determined likely dumping margin and injury margin based on imports of subject goods into Philippines, Pakistan, Bangladesh, Vietnam and Indonesia from China based on market intelligence. The subject goods do not have a dedicated code and thus third country export data cannot be considered as per Customs data to analyze the third country export behavior.

Dumping Margin based on third country:

Constructed Normal Value	UOM	Pakistan	Bangladesh	Philippines	Indonesia	Vietnam	Total
Import volume	MT	4,781	2,065	24,461	555	2,028	33,890
Normal value	USD/ MT	***	***	***	***	***	***
Net export price	USD/ MT	***	***	***	***	***	***
Dumping margin	USD/ MT	***	***	***	***	***	***
Dumping margin	%	***	***	***	***	***	***
Dumping margin	Range	25-35	50-60	470-480	100-110	75-85	210-220

Injury margin based on third country:

	UOM	Pakistan	Bangladesh	Philippines	Indonesia	Vietnam	Total
Import volume	MT	4,781	2,065	24,461	555	2,028	33,890
Non-Injurious Price	USD/ MT	***	***	***	***	***	***

Landed value	USD/ MT	678	588	201	450	511	314
Injury margin	USD/ MT	***	***	***	***	***	***
Injury margin	%	***	***	***	***	***	***
Injury margin	Range	25-35	45-55	330-340	90-100	70-80	175-185

- xi) There is significant volume of subject goods which are being dumped from China to countries like Pakistan, Bangladesh, Philippines, Indonesia, and Vietnam. The available information regarding the Chinese exports of Zeolite is limited. However, the magnitude of exports can be better understood by the capacity that China caters to, and the approximate demand in China. Even with the available information, it is evident that China has been dumping the subject goods to third countries at prices which are lower than that prevailing in India. Further, if the duties cease to exist the exports from the subject country which are being sold at prices lower than the prevailing prices in India can be easily routed to India resulting in further injury to the domestic industry.
- xii) The Indian market is highly price sensitive. China is dumping its goods in a global market at prices which the Indian Industry cannot compete with. The reduction in dumped volumes in India was only due to the existing duties and other third country imports. However, given a situation of no duties, Chinese producers will resume their dumping. The domestic industry is already suffering material injury due to dumped imports from Thailand and UAE for which the domestic industry has filed an application for imposition of anti-dumping duties. Availability of such low-priced imports in the market in the absence of anti-dumping duty will definitely cause an adverse impact on the prices of the product in the market.

H.3 Examination by the authority

81. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of subject goods from China. Under the Rules, the Authority is required to determine whether the cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
82. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury.
83. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia for factors which are required to be taken into consideration viz.:
- A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased imports;
 - Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
 - Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
 - Inventories of the article being investigated.
84. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The examination of the parameters of the likelihood as follows:
- a. Continued Dumped and Injurious Exports.**
85. The imports from China have declined significantly post imposition of duties. The exporter response shows imports in the POI. However, imports are made at dumped and injurious price which are very significant, and are given in the table below:

S.N.	Export Volume to India	612 MT
1	Dumping margin	***

	% Range	130-140
2	Injury margin	***
	% Range	30-40

b. Significant surplus capacities in the subject country

86. The domestic industry has provided information on the capacity of various producers along with evidence as per websites of the producers of the subject countries. The information provided by the domestic industry shows as follows:

S.N.	Producers In China	Capacity (MT/annum)
1.	Huiying Chemical Industry (Quanzhou) Co., Ltd.	1,50,000
2.	Chalco Shandong Co.	2,40,000
3.	Sino Material Technology Co. Ltd.	1,00,000
4.	Jalon Zeolite	55,000
5.	Yangzhou Guanmin Imp. & Exp. Co., Ltd.	15,000
6.	Nanjing Yongcheng Molecular Sieve Co., Ltd.	10,000
7.	Jiangxi Xintao Technology Co., Ltd.	5,000
8.	LK (NANJING) CO., LTD.	1,000
9.	Total known capacity	5,76,000

87. One of the producers from China has cooperated in the present investigation and have provided information on their capacity. Information provided by responding producer/exporter shows as follows:

Particulars	Unit	POI
Capacity	MT	***
Production Quantity-PUC	MT	***
Production Quantity-NPUC	MT	***
Capacity Utilisation	%	***
Total Sales	MT	***
Third country Sales	MT	***
Domestic Sales	MT	***
Share of exports as % of total sales	%	***
Share of exports as % of total sales (Index)	Range%	40-50%

88. While the information on domestic demand has not been provided by the exporter, it is seen that the exporter has utilised its capacity to optimum level. The exports sales constitute ***% of total sales. Thus, the exporter is highly export oriented.
89. Information placed on record before the Authority indicates that China PR is the largest producer and exporter of the subject goods and has built significant capacities. The Authority notes that the existing capacity of the producer of China PR who have responded in the present investigation alone is around *** times of the Indian demand. The exporter's third country exports is almost ***times of the Indian demand.
90. As regards the claim that capacity utilization is very high for these producers, the Authority has examined third country dumped and injurious volume to examine likelihood of dumping and injury in the event of cessation of duty at subsequent paragraph on price attractiveness of Indian market.

c. Third country dumping

91. The domestic industry has provided information with regard to exports from the subject country to show that the producers in the subject country are also dumping the subject goods in third countries. Since the largest

producer in China, Chalco Shandong Advanced Material Co, has responded in the present investigation, the claim of third country dumping has been examined considering the information provided by the said responding producer. It is seen that almost entire volume of exports to third countries being made by the responding exporter are at dumped price. Table below shows the factual information.

Particulars	Unit	China PR In POI
Total exports from cooperative producer/exporter to third Country	MT	***
Exports at dumped price	MT	***
Third country export price	USD/MT	***
Share of dumped volume in total exports	%	***
	% Range	90-100
Share of dumped volume in relation to Indian demand	%	***
	% Range	200-300%

92. The total export is ***MT. The entirety of third country exports have been made at dumped price. This volume constitutes around *** of Indian demand.

d. Injurious volume of exports

93. The domestic industry has provided information regarding the exports from the subject country to show that the producers in the subject country are exporting significant volume of the subject goods to third countries at injurious price. The price of the exports made by the responding exporter have been compared with the NIP determined for the POI. Table below shows the factual information:

Particulars	Unit	China PR
Total exports from China to third Country	MT	***
Exports at injurious price	MT	***
Third country export price	USD/MT	***
Share of Injurious volume in total exports	%	***
	% Range	90-110
Share of dumped volume in relation to Indian demand	%	***
	% Range	200-300%

94. It is seen that the total exports reported by the Chalco Shandong is ***MT. Entirety of third country exports are at injurious price, the volume of which constitutes around ***% of Indian demand. In the event of cessation of existing anti-dumping duty, these third country exports may likely to be diverted to India which will force the domestic industry to sell the PUC at injurious price in order to maintain its market share and they will eventually suffer losses.

e. Price attractiveness of indian market

95. The domestic industry has provided information regarding the exports from the subject country to show that the producers in the subject country are exporting significant volume of the subject goods to third countries at a price below the level at which the subject goods are being exported to India. The Authority has examined information provided by the responding exporter. The exports made by the respondents have been compared with the landed value determined for the subject goods imported into India from China with the export price reported by the responding producer after due adjustments. Table below shows the factual information:

Chalco shandong advanced material Co., Ltd

Particulars	Unit	China PR
Total exports from China to third Country	MT	***
Volume of exports which is being exported below		***

India price- Attractive volume	MT	
Total Demand in India	MT	***
Share of attractive volume in relation to Indian demand	%	***
	% Range	200-300%

96. The total exports reported by the responding exporters is ***MT and entire volume of exports made to third countries is at price below the level at which goods are being exported to India. This volume constitutes almost ***% of total Indian demand.

97. It is seen that significant exports to third countries are being made at dumped and injurious prices. Further share of exports to third countries at prices below the price at which goods are being exported to Indian market is also significant. The response filed by Chalco Shandong shows that the entirety of third country exports from China are at dumped and injurious price.

I. POST DISCLOSURE COMMENTS

I.1 Views of other interested parties

98. Post disclosure comments made by the other interested parties is as follows:

- i. The Authority has claimed excessive confidentiality of the import data (of the cooperating producer) being considered for assessing injury. It is well settled that the Authority, on its own accord, cannot claim confidentiality of the data placed before it. the Authority may disclose the import data of the cooperating producer in indexed form and also clarify if the data being considered is indeed for the detergent grade alone.
- ii. Imports from the subject country have not led to any volume injury to the petitioner. Alleged injury, if any, is on account of reasons other than the subject imports.
- iii. If indeed the undercutting from the subject country was causing material injury to the domestic industry, any increase in undercutting should have led to a greater decline in profit – however, the data filed on record clearly indicates that the relationship is inverse, revealing a breach in causality.
- iv. The petitioner has been able to increase its selling price throughout the injury regardless of the landed value of imports.
- v. The petitioner has decreased its domestic sales and increased its export sales. Hence, injury, if any, is on account of exporting huge quantities.
- vi. That any alleged impact on the petitioner's market share in the domestic market is on account of the petitioner's conduct of diverting its sales towards exports. Hence, the increase in the market share must be assessed in consonance with the multifold rise in the petitioner's exports of the subject goods.
- vii. Any continuing injury to the petitioner could not have been caused by the subject imports whereby there appears to be a significant breach in the causal link between the subject imports and the injury claimed to be suffered.
- viii. With regard to the cost of sales, it is submitted that the figures considered in the disclosure Statement are significantly different from those previously placed on record. It thus casts a doubt on the veracity of the data placed on record at the stage of initiation. Without prejudice, the Authority may clarify the reasons for such significant differences.
- ix. The annual demand for the PUC is about 30K MT in India and the domestic industry is not in a position to increase its sales because of capacity restrictions.
- x. The Petitioner also admitted that technical upgradation at its plant to improve product quality and heavy rains in the year 2021 (amongst others) as reasons for the reduction in the production volume of the PUC, whereby the petitioner has been unable to supply the PUC to the user.
- xi. The petitioner has acknowledged in its financial statements for the years 2019-20 and 2020-21 that it has been financially impacted (though negligible) by the COVID-19 pandemic.
- xii. Even if it is assumed that the petitioner's claims on capacity are accurate, there is no evidence provided with regard to the existence of "idle" or "freely disposable" capacities in China PR.

- xiii. The data provided by one producer cannot form the basis to attribute such producer's alleged third country dumping/injury to all the other producers from China. Hence, the factors third country dumping/injury or price attractiveness remains unestablished by the petitioner.
- xiv. The PUC is a product with low density and is also very voluminous, whereby it is transported/imported through shipping containers. Accordingly, ocean freight plays a critical role in determining the source through which the PUC should be imported. Hence, the user prefers to purchase the PUC from the closest location, i.e., China PR and Thailand, the downstream producers will be forced to look for other sources of supply if duties on China is continued and is imposed on Thailand.
- xv. The business environment, is challenging on account of consumer price inflation (CPI). Given that these prices are already increasing on account of the factors above, such as inflation, even a minor price increase would place an additional burden on the already- strained purchasing power of the common man.
- xvi. Negligible exports have been made to India. Production capacity reported by Chalco Shandong Advanced is for all Zeolite, not limited to the PUC (detergent grade) only. Thus, the producer/exporter has no excess or surplus capacity with them.
- xvii. The Authority should grant lower rate of duty to the participating exporter than the residual category.
- xviii. There is no likelihood on dumping and injury. This is inconsistent with the long-term and overall interests of the Indian domestic industry
- xix. The Authority has inflated the NIP in the present investigation. The same is based on some hypothetical assumptions. The Authority should reconsider the NIP and constructed value considered.
- xx. The domestic industry cannot meet the demand as demand has increased by 20% during the POI when compared to the base year. But there is no increase in installed capacity.
- xxi. There is high likelihood of petitioner dominating the market and creating barriers to market entry.
- xxii. DGTR is giving undue protection to the domestic industry by applying 22% Return on Capital Employed which was designed in 1987. In Bridge Stone Tyre Manufacturing & others vs. Designated Authority, the CESTAT has observed that the practice of 22% ROCE adopted by the Designated Authority was not correct as calculating the NIP by assuming such a high rate of return gives an inflated picture of price underselling.

I.2 Views of domestic industry

99. Post disclosure comments made by the domestic industry are as follows:

- i. The imposition of duties has helped the domestic industry from improving in terms of volume parameters. It has also encouraged further investment in the country to bridge the demand supply gap. However, presence of dumped imports from other countries have prevented the domestic industry to achieve a reasonable and profitable price for the product leading to continued price injury.
- ii. The import volume reported in the Indian data for the classification meant for PUC are understated as established by the EQR. The Authority may kindly consider the export volumes reported by the exporter.
- iii. The domestic industry continues to suffer material injury and is thus vulnerable.
- iv. The imports declined from China as a result of duties. However, such imports are made at prices below the NIP, selling price and cost of sales.
- v. The known capacity in China is around 5,76,500 MT as against the demand of around 30,000 MT in India.
- vi. The largest exporter from China has responded in the investigation and it is seen that the exports to India are made at dumped and injurious prices.
- vii. Almost entirety of third country exports made by the exporter is also at dumped and injurious price. Significant share of these exports are being made at price below the price at which exports have been made to India. Thus, the Indian market is a price attractive market for the Chinese exporters.
- viii. The trend of the other producers in China should also be assumed the same, particularly so when they have chosen to be non-cooperative.
- ix. The present quantum of duties should be extended in the present case. The scope of sunset review is mere extension of existing duty, and not modification of duty. The import price is impacted by the anti-dumping duty in force. Therefore, while the anti-dumping duties are operative, no definitive

inference can be drawn from the change in the dumping margin or injury margin in such situations due to the fact that ADD is in place. T

- x. Section 9A(5) read with Rule 23, in line with Article 11.3 of the WTO Agreement enables the Central Government to conduct a review investigation. The sunset review therefore focuses on whether the cessation of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The quantum of anti-dumping duty is not the focus of a sunset review.
- xi. The fact that the Authority modified the quantum of duty in the past in some other investigation itself does not imply that the Authority should modify the quantum of duty in the present case. In the recently concluded sunset- review anti-dumping investigation concerning imports of "Opal Glassware" originating in or exported from China PR and UAE, the Authority had recommended continuation of same duties as imposed after 1st sunset review.
- xii. The imports have declined as a result of the imposition of duties. Thus, it is this duty that were effective and made the exporters reduce volume. The domestic industry continues to suffer injury. However, such injury is on account of imports from other sources. Therefore, modification of quantum of duties would lead to recurrence of intensified dumping and injury to the domestic industry.
- xiii. The request for extension is on the grounds of the likelihood of injury. There is clear evidence of likelihood of dumping and injury if the existing duties are allowed to expire. The volume of imports is quite low. In fact, the exports reported by the exporters were not even reflected in the DGCI&S data for the classification meant for the product under consideration.
- xiv. The impact of duties on the end-users and consumers of the like product in India is minimal. The subject good is only used by premium detergent brands such as Ariel, Surf Excel, Tide etc. Many of the low-cost detergent powders (which are the product of consumption by the public at large) do not use Synthetic Zeolite at all.
- xv. Zeolite accounts for only 2 – 3% of the total raw material cost and the resultant impact of zeolite on the overall cost of detergent manufacturers amount to less than 1.8% which is miniscule.
- xvi. Zeolite is used by premium brands whose detergent generally goes for machine wash. The premium detergent industries have been doing well as can be seen from the annual report 2022 of Hindustan Unilever Limited which clearly highlights the growth of their detergent brands in the past five years. In fact, HUL was also able to earn massive profits through their detergent brands and currently they are in the process of setting up new detergent manufacturing facility at Sumerpur, Uttar Pradesh.
- xvii. Affiliate of the applicant has set up a plant with capacity to the tune of 25000MT. It has already started production in the financial year 2023-2024. The current demand of the subject good is under 30,000MT and this additional capacity would be more than enough to cater to the current and future demand in the country.
- xviii. The product under consideration is not consumed by public at large. It is consumed by upper section of the society. Even if this negligible effect is to be considered it only affects a small section in the Indian economy who has much higher spending. Even if the price of eventual end product would increase by 0.14-0.28%, it is grossly insignificant for this section of the society.
- xix. Some detergent manufacturers produce multiple brands of detergents to cater to different sections of the society wherein Zeolite is only added to the premium brand of detergents. Procter & Gamble, Hindustan Unilever Ltd. and Nirma Ltd. who consume zeolites, are about 30% of gross detergent production in the country.
- xx. There are several major detergent manufacturers who are not consuming zeolites. Their collective production should be about 70% of the gross detergent production in the country.
- xxi. Further, the PUC is only used in the detergent category and not in detergent bars and liquid detergents as the properties of Zeolite is not suitable to manufacture these products. Hence, the impact, if any would only be on a limited group in the society.
- xxii. The Indian industry belongs to the MSME sector. By contrast, the consumers are mega companies. MSME performance is critical for macro-level economic growth. Discontinuation of duty will adversely affect long term viability of MSME production by forcing them to compete with imports at dumped prices.

I.3 Examination by the Authority

100. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry and notes that major comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the

relevant paras of the disclosure statement. New submissions have been examined as under:

- i. As regards the contention of one of interested party (user industry) that import volume of the responding producer in the indexed form should be disclosed, it is noted that actual volume of exports by an individual exporter is a business sensitive information, which is claimed confidential by such exporter. The Authority has disclosed the trend of such imports, in the indexed form.
- ii. As regards the contention that injury is not on account of the subject country imports and there is no causal link between imports from China and injury to the domestic industry, it is noted that the imports from China have declined significantly post imposition of duties. The reduced imports from China are, however, being made at price below the level of the cost of sales, selling price and non-injurious price of the domestic industry. Thus, the actual imports from China itself shows the potential injurious effects of such imports from China. This coupled with the fact of high export orientation, third country dumping and injury indicates likelihood of dumping and injury in the event of cessation of duties.
- iii. As regards the argument with respect to price undercutting, it is noted that price undercutting without adding the anti-dumping duty is very significant. With regards to very low volume of dumped imports of the subject goods into India, it is noted that volume has reduced because of anti-dumping duty in force, and it is also noted that the exporters in the subject country are not able to export the subject goods in substantive volume at undumped prices. This reinforces the fact that the domestic industry is likely to witness recurrence of import of dumped and injurious imports from the subject country in the event of cessation of anti-dumping duty from the subject country.
- iv. As regards the argument that the information on cost of sales have undergone change, it is noted that the information submitted by the interested parties are subject to verification and duly verified information has been considered in this findings.
- v. As regards the claim that demand supply gap and other restraints such as rain, covid 19 affected the supplier's ability to supply goods, it is noted from the information on record that the applicant-maintained inventories throughout the POI. The impact of covid-19 has been quoted to be negligible in the annual report. It is further noted that the capacity utilisation of the domestic industry is not utilised to its optimum. In any case, demand supply gap does not justify dumping of subject goods.
- vi. As regards the argument that the Authority has ignored the requirement to evaluate surplus or freely disposable capacity available with the Chinese producer as it has utilized most of its capacity, it is noted that the Authority has examined the disposable capacity as per information received on record. It is further noted that the volume of third-country dumped exports, third-country injurious exports and volume of exports made by the exporter at a price below the level at which it has been exported to India are strong evidences of likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury in the event of cessation of anti-dumping duty.
- vii. As regards the argument that data provided by one producer cannot form the basis to attribute such producer's alleged third country dumping/injury to all the other producers from China, it is noted that the responding exporter is the largest exporter of the subject goods in India and its capacity constitutes almost half of the total known capacity and thus the performance of this exporter is indicative of the likely behaviour of other exporters. Moreover, despite giving an opportunity, none of the other producers from China have responded and provided relevant information. The responding exporter has also not provided information on the known capacity and prevailing demand in China. In view of the absence of relevant information from the exporters, the Authority has considered the best available information.
- viii. The Authority has determined the non-injurious price (NIP) for the domestic industry on the basis of information furnished by the domestic industry, as per principles laid down in the Anti- Dumping Rules read with Annexure III and the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

J.1 Views of other interested parties

101. The other interested parties have made the following submissions with regards to public interest:

- i. The producers of the downstream products of the PUC are forced to import the PUC from countries other than China PR and Thailand as even the full capacity utilization of the domestic producers is not enough to meet the demand of the PUC. Moreover, the applicant had declined the user's requests to increase allocation several times citing capacity limitation.

- ii. The continuation of duties would be detrimental to the interests of the downstream user industry of the PUC. The domestic industry's capacity is not sufficient to meet the overall demand of the country, and hence, the imports are inevitable. Any imposition of anti-dumping duties would lead to shortage of supply of the PUC.
- iii. Considering the low density and voluminous nature of the PUC, ocean freight plays a critical role in determining the import source of the PUC and user also prefers to import the PUC from the closest locations, i.e., China and Thailand. If anti-dumping duties are continued to be imposed on the PUC from China PR and/or are imposed on the PUC from Thailand (in the parallel anti-dumping investigation), the user would have to depend on domestic suppliers who have no capacity to cater to the demand of the domestic industry.
- iv. Sales of FMCG products have declined significantly, particularly in rural markets due to increased prices in the range of 2-5%, which can be attributed mainly to inflation as stated in the annual report, 2021-22 of the user. The PUC is a product routinely consumed through detergents by the public and imposition of anti-dumping duties on the PUC would lead to an increase in the cost of the end product. This increase in cost followed by the increase due to inflation would place an additional burden on the already-strained purchasing power of the common man.
- v. Detergents also consume SLES/PAS (i.e., the downstream products of Saturated fatty Alcohol) which is currently subject to anti-dumping duties and an SSR investigation of AD duties and a CVD investigation are currently ongoing. Should a 30% ADD and CVD duties be levied on Saturated Fatty Alcohol along with the aforementioned duties on the
- vi. PUC, the public would have to cumulatively pay an additional amount to consume the detergents.
- vii. Due to the existing anti-dumping duties, the Indian importers had to bear higher cost to import PUC from abroad which affected the availability of PUC in the Indian market.

J. 2 Views of domestic industry

102. The domestic industry has made the following submissions with regards to public interest:

- i) An affiliate of the applicant is in the process of setting up a new plant with increased capacities that would add to existing investments and make the Indian industry self-sufficient.
- ii) HUL has always been a price negotiator with the applicant, for third parties who have never shown interest in any long-term contracts, despite which the applicant has aided HUL. It was a case of impromptu allocations that led to the decline of HUL's request for full volumes.
- iii) The applicant has constantly maintained adequate inventories for regular buyers and intends on doing the same with HUL now that they are actively showing interest in a long-term commitment.
- iv) The applicant has demonstrated that the impact of Zeolite on the cost of downstream product is miniscule and that the eventual impact on the end customer is negligible. The user has been performing well in terms of their detergent manufacturing and was successful in maintaining and increasing profits. The annual report of the user elaborates on how its detergent brands have grown over the past five years and are in the process of setting up new manufacturing facilities. The eventual impact on the end customer is further negligible. Zeolite is used in premium detergents and the impact of ADD on the user segment of these detergent is negligible.

J.3 Examination by Authority

- 103. The Authority notes that the purpose of imposition of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Continuation of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject country in any way. The Authority recognizes that the continuation of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, continuation of anti-dumping measures would ensure that no unfair advantages are gained by dumping practice, prevent decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
- 104. The Authority considered whether continuation of anti-dumping shall have any adverse impact on the interest of the public. In order to determine such impact, the Authority weighed the impact of the continuation of duties on the availability of the goods in the Indian market, the impact on the users of the product as well as the domestic industry and the impact on the general public at large. This determination is based on the submissions and evidence submitted over the course of the present investigation.
- 105. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide

relevant information about the present investigation including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to present investigations, including effect of anti-dumping duty on their operations. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of anti-dumping duty on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of anti-dumping duty, impact of repealing or maintaining the present duty.

106. The submissions made by the other interested parties with respect to the impact of the duty have been considered. The Authority notes that the present investigation is a sunset review investigation, and therefore before considering the impact of the proposed duties on consumers, the Authority should first consider the impact of the duty that was imposed earlier. In a situation where the anti-dumping duty has been in place for the last more than four years, the increase in the price of the product (after due adjustments for raw material price movements) and the impact of the same is the best indicator of the likely impact of the proposed duty on the consumers. This impact is required to be determined considering the increase in price of the domestic and imported product post imposition of duty. It is seen that there is no increase in the price of the product by the domestic industry to the extent of anti-dumping duty imposed. There is no evidence to show that the imposition of duties had an adverse impact on the users/consumers. The prices of the subject goods have not increased by the quantum of anti-dumping duty that was earlier imposed. Further, the user industry has itself shown the impact of anti-dumping duty in the range of 1-2%.
107. The Authority notes that there existed a huge demand-supply gap in India prior to the applicant entering the Indian market. It is seen that the applicant has set up this plant along with the Gujarat government inter alia to significantly bridge this gap. Post imposition of duties, the Indian industry was able to increase its production, and capacity utilization. Duties aided the domestic producer to maintain a ***% share in the market which was only 7% in the POI of the original investigation. Imposition of duties have led the industry to undertake fresh investment in order to bridge the demand-supply gap. The affiliate company of the applicant domestic industry has set up a capacity and has already started production in this financial year, i.e., 2023-2024. The capacities in Indian will be sufficient to cater the existing and future demand in the country. Further, the demand supply gap in the country does not justify dumping. Further, antidumping duties are does not restrict imports, it is imposed only to the extent necessary to ensure a level playing field for all the parties.
108. It is noted that the Indian producers of zeolite falls under MSME category. As the Authority has noted in other investigations involving MSME companies, that producers in this category are extremely susceptible to changes in the market conditions. The principles that govern large scale companies are not applicable in case of MSME companies. These companies do not benefit from economies of scale, or vast product profile, vast market base both domestic and export, and fine business/management skills, that are otherwise found in large-scale companies that help them in mitigating risks in the market. The subject goods is a commodity product, wherein the price is the deciding factor for the consumers. It may not be possible for a MSME producer, to not align their prices to the import prices. Therefore, despite the trends registered in raw material prices, if imports are entering the Indian market at dumped prices, a MSME producer in order to survive will attempt to align its prices to import prices. Moreover, unlike any other MSME industry this industry is not fragmented and consists of only 2 producers of the subject goods. If duties cease, it is likely that these producers may not survive and the Indian industry may vanish entirely.
109. The Authority notes that, from the analysis of original investigation that imports from other countries were quite low. However, post imposition of the present duties, these countries allegedly resorted to dumping and increased their exports. Accordingly, the Authority is parallely investigating these imports.
110. The Authority has found that the installed capacities with known producers in China are in the region of 5,76,500 MT. Thus, considering the volume of dumped, injurious and price attractive sales by the responding Chinese producer, should the present duties cease to exist the volume of imports at dumped and/or injurious imports that are likely to enter the Indian market would be significantly more than the entire Indian demand. While the existing anti-dumping duty has prevented the Chinese producers from increasing their volumes beyond the present volumes, cessation of exiting anti-dumping duty shall lead to a significant increase in these volumes. The Indian industry is clearly vulnerable to injury in the event of cessation of anti-dumping duty.
111. As, the present investigation is a sunset review actual impact of the duties can be assessed. Accordingly, it is seen that duties imposed in the past did not result in price increase, and did not result in any material adverse effect on the downstream industry (as is seen from the growth of the detergent portfolio of HUL) or the public at large.
112. The subject goods is a builder in detergents and is only used by top-end detergent brands. It has been submitted by the applicant that the cheaper detergent brands refrain from using the subject goods as a raw material, and that producers that are producing multiple brands only use zeolite in detergents for their premium brands.

Therefore, it is noted that zeolite being consumed in detergent production is not used by the public at large, and is limited to certain income groups.

K. CONCLUSION

113. Having regard to the contentions raised, submissions made, information provided and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of likelihood of continuation/recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
- Being a review investigation, the scope of the product under consideration has not been enhanced and has been kept the same as the original investigation. Accordingly, the PUC is being defined as “synthetic grade zeolite 4A”.
 - With imposition of anti-dumping duty, the imports from the subject country have declined. However, imports from China are still being made at dumped and injurious price.
 - The domestic industry continues to suffer injury as is seen from decline in profits, cash profit and ROI. In fact, the domestic industry is suffering losses in the POI and thus shows vulnerable position. The operating performance of domestic industry have significantly declined because of continuation of dumped imports at injurious price, and, also, because of significant increase of alleged dumped imports of subject goods from Thailand and Iran, for which the Authority is conducting parallel anti-dumping investigations.
 - The information on record shows likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury in case the anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage. The likelihood analysis shows that significant exports of the subject goods from the subject country to third countries other than India are at dumped and injurious prices. The price at which exports have been made to third countries shows that the Indian market is price attractive. These factors cumulatively indicate strong likelihood of diversion of exports of the subject goods from the subject country to India if the existing anti-dumping measure ceases to exist.
114. The Authority notes that the imposition of anti-dumping duties on the product under consideration has led to significant new investment by the domestic industry.
115. From the information on record, it is also seen that the impact of anti-dumping duty on the consumers is quite insignificant. Therefore, there is no reason to believe that continuation of present measure is likely to lead to increase in the prices of the product under consideration in the country.
116. In view of the above the Authority finds that there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of cessation of the existing anti-dumping duties, and therefore, recommends continuation of anti-dumping duties for a further period of five years.

L. RECOMMENDATION

117. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, the exporters, the importers, the users, and the other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link and also on likelihood of dumping and injury to the domestic industry.
118. Having concluded that there is positive evidence of likelihood of dumping and injury if the existing anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that the anti-dumping duty in force on the imports of the product under consideration from the subject country is required to be continued further. Considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, the Designated Authority considers it appropriate to recommend extension of the anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject country. Accordingly, the anti-dumping duties for producers from China is recommended as per the duty table below.
119. Thus, in terms of provision contained in Rule 4(d) and Rule 17(1) (b) of the AD Rules, the Authority recommends the continued imposition of the existing anti-dumping duties, so as to remove the likelihood of dumping and injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in column 6 of the duty table below is recommended for the imposition for five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

DUTY TABLE

S. No.	Sub-heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit of Measurement	Currency
1	38249922 38249090 38249990	Synthetic Grade Zeolite 4A(Detergent Grade)	China PR	China PR	Chalco Shandong Advance Material Co. Ltd.	163.90	MT	USD

	28429090 28269000 28399090 28421000				(CSAMCL)			
2	-do-	Synthetic Grade Zeolite 4A(Detergent Grade)	China PR	Any	All Other producers/ exporters from ChinaPR	207.72	MT	USD
3	-do-	Synthetic Grade Zeolite 4A(Detergent Grade)	China PR	Any	All Other producers/ exporters other than ChinaPR	207.72	MT	USD

***Note – Customs classification is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the PUC

120. The landed value of imports for the purpose of this notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under Sections 3, 3A, 8B, 9A of the said Act.

M. FURTHER PROCEDURE

121. An appeal against the determination/review of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority